रजिस्ट्रेशन सं. डी. एल.—33004/96 REGN. NO. D. L.—33004/96

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 25, 1996/चैत्र 5, 1918
No. 73] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 25, 1996/CHAITRA 5, 1918

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या 352/(पी एन)/92-97

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1996

फा. सं. पी. आर. यू./एच बी/II-92-97:—निर्यात और आयात नीति, 1992-97 यथासंशोधित, के पैरा-16 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1), 1992-97, यथासंशोधित, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

अध्याय 1

पैराग्राफ 1 के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:—

'निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के रूप में एक अन्य संकलन को अधिसूचित किया गया जिसमें आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण पर आधारित मदवार आयात और निर्यात नीति शामिल है। यह संकलन भी 31 मार्च, 1997 तक लागू रहेगा।

अध्याय 3

2. पैराग्राफ 5(4) में दी गई पदनामित प्राधिकारी की परिभाषा निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:

"पदनामित प्राधिकारी" का अर्थ है, पास-बुक योजना और डायमंड क्रेडिट बुक स्कीम के प्रचालन हेतु महानिदेशक विदेश व्यापार के कार्यालय का अधिकारी, जोकि उप महानिदेशक विदेश व्यापार से कम पद का न हो।

3. पैराग्राफ 5(8) में दी गई "जोनल अग्रिम लाइसेंसिंग समिति" की परिभाषा को हटा दिया गया है।

4. निम्नलिखित "क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेंसिंग समिति" की परिभाषा, प्रविष्टि (9) के बाद एक नई प्रविष्टि (10) के रूप में पैराग्राफ 5 में जोड़ी जाएगी:—

"आर ए एल सी" का अर्थ है क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेंसिंग समिति, जो क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी के कार्यालय में कार्य कर रही है, जिसका प्रधान संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार है।

अध्याय 4

5. विद्यमान पैराग्राफ 12 के बाद निम्नलिखित नए पैराग्राफ को जोड़ा जाएगा :

आयातक-निर्यातक कोड नम्बर को लौटाना

12-क. यदि आयातक-निर्यातक कोड नम्बर धारक, आवंटित कोड नम्बर परिचालित न करना चाहे तो वह क्षेत्रीय लाइसेंसिंग, प्राधिकारी, जिसने उपरोक्त कोड नम्बर आबंटित किया था, को सूचना द्वारा अभ्यर्पित कर सकता है।

ऐसी सूचना प्राप्त न होने पर, क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी, सभी सीमाशुल्क/लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को तत्काल सूचित करेगा कि उपर्युक्त आयातक-निर्यातक कोड नम्बर निष्क्रिय हो गया है ।

6. पैराग्राफ 17(2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर पर आधारित प्रणाली के आयात को छोड़कर इसके अन्तर्गत पंजीकृत संगठित सैक्टर की यूनिटों के लिए, औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विकास विभाग (डी एस डब्ल्यू) ।

7. पैराग्राफ 21 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

निर्यात-आयात लाइसेंस/सीमाशुल्क निकास परमिट/पास बुक/डायमंड क्रेडिट बुक की अनुलिपि

जब पास बुक और डायमंड क्रेडिट बुक सहित लाइसेंस गुम या अस्थानास्थ हो जाए तो परिशिष्ट 6 में निर्धारित प्रपत्र में लाइसेंसिंग प्राधिकारी या नामित प्राधिकारी को अनुलिपि जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन के गुणावगुण के आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात् संबंधित प्राधिकारी लाइसेंस/पासबुक/डायमंड क्रेडिट बुक, जैसा भी मामला हो, की मूल प्रति को निरस्त करने के आदेश जारी करने के पश्चात् तथा उस सीमाशुल्क प्राधिकारी को सूचित करने के पश्चात् जहां पर लाइसेंस/पासबुक/डायमंड क्रेडिट बुक पंजीकृत हुई है, की डुप्लीकेट प्रतिलिपि जारी कर देंगे। तथापि मुक्त रूप से हस्तांतरणीय आयात लाइसेंस की अनुलिपि जारी नहीं की जाएगी ।

अध्याय 5

8. पैरा 49 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:—
यद्यपि उपरोक्त पैरा 44-45 के अन्तर्गत जारी किए गए लाइसेंस होटल, पर्यटक एवं पर्यटन उद्योग में मुक्त रूप से हस्तांतरणीय है तथापि स्वतः आयात किया गया अथवा लाइसेंस के मद्दे आयात किया गया माल वास्तविक उपभोक्ता शर्त के अधीन होगा तथा आयात की तिथि से विदेश व्यापार महानिदेशक की अनुमति के बिना दस वर्ष की अवधि तक स्थानांतरित नहीं किया जाएगा ।

9. पैरा 66 के अन्त में दिए गए जिस लाइसेंसिंग वर्ष से आवेदन संबंधित उस वर्ष की 31 मई तक नामक शब्द एवम् अंक जोड़ दिए जाएंगे ।

10. पैरा 92 निम्न अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

परिशिष्ट-35 में व्यवस्था होते हुए भी परिशिष्ट-48 में दी गई आयुर्वेदिक, यूनानी अथवा चिकित्सा अन्य कोई पद्धति के लिए अच्छी दवाओं का आयात वास्तविक उपभोक्ता शर्त के अधीन किया जा सकता है बशर्ते कि संबंधित आयुर्वेदिक, यूनानी अथवा चिकित्सा की अन्य कोई पद्धति के विनिर्माता के पास औषध एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 और औषध एवं प्रसाधन अधिनियम, 1945 के अन्तर्गत विनिर्माता का वैध लाइसेंस उपलब्ध हो ।

अध्याय 6

11. मौजूदा पैराग्राफ 100क के बाद एक नया पैराग्राफ 100ख जोड़ा जाएगा:—

"100ख. प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड—1) के पैराग्राफ 19 में शामिल उपबन्धों के बावजूद ई पी सी जी लाइसेंस हिस्से-पुर्जों के आयात के प्रयोजन के लिए निर्यात दायित्व की मूल अवधि के दौरान वैध होगा जैसाकि निर्यात एवं आयात नीति के पैराग्राफ 38 के अधीन अनुमति दी गई है।"

12. मौजूदा पैराग्राफ 102 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

इस योजना के अधीन 1 करोड़ रु० तक के आवेदनों पर परिशिष्ट 19 में निर्दिष्ट अधिकार क्षेत्र के अनुसार संयुक्त निदेशक, विदेश व्यापार की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा विचार किया जायेगा। इस सीमा से अधिक और 5 करोड़ रु. तक के आवेदनों पर उपर्युक्त परिशिष्ट में दिए गए अधिकार-क्षेत्र के अनुसार संयुक्त निदेशक, विदेश व्यापार की अध्यक्षता वाली जोनल लाइसेंसीकरण समितियों द्वारा विचार किया जाएगा । इस योजना के अधीन 5 करोड़ रु. से अधिक वाले आवेदनों पर महानिदेशक, विदेश व्यापार की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा विचार किया जायेगा। 20 करोड़ रु. और इससे अधिक लागत बीमा-भाड़ा मूल्य के लिए ई पी सी जी योजना के अधीन प्रस्तुत किए गए सभी आवेदनों पर सचिवों की समिति को भेजने से पहले ई पी सी जी की मुख्यालय समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

सभी क्षेत्रीय लाइसेंसीकरण प्राधिकरण/जोनल लाइसेंसीकरण प्राधिकरण इस योजना के अधीन ई पी सी जी लाइसेंस/मानीटरिंग रिपोर्ट जारी करने के संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय के निर्यात दायित्व सैल-2 को समय-समय पर विवरण भेजेंगे ।

13. पैराग्राफ 103 के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :

किन्तु, सचिवों की समिति/ईपीसी जी समिति सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मूल्य से ज्यादा मूल्य के लिए उपयुक्त मामलों मे बैंक गारंटी मांग सकती है।

14. मौजूदा पैराग्राफ 105 (घ) के बाद पैराग्राफ 105 (ड़) के रूप में निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा।

"105 (ड़) : लाइसेंसधारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्यात के समय सभी शिपिंग बिलों पर ई पी सी जी लाइसेंस सं. और तारीख लिखी गई है जिस पर निर्यात दायित्व को पूरा करने पर ही विश्वास किया जाएगा।"

15. पैराग्राफ 105क में दूसरे वाक्य को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :

अध्याय 7

16. मौजूदा पैराग्राफ 108 (क) (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(2) सुपर स्टार व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन/व्यापार सदन/निर्यात सदन/सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा निर्यात के मामले के अलावा विदेश में ऐसे गोदामों को खेप के आधार पर निर्यात आदेश/साख-पत्र दिए जाएंगें जैसा कि समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया है।"

17. मौजूदा पैराग्राफ 108 (ग) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"जहां मानदण्ड प्रकाशित किए जा चुके हैं और आवेदन पर आर ए एल सी/जेड ए एल सी/ए एल सी के अनुमोदन की जरूरत नहीं है, अनुलग्नक और अन्य दस्तावेजों की एक प्रति सहित परिशिष्ट—17 में एक आवेदन संबंधित लाइसेंसीकरण प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।"

18. पैराग्राफ 108 (घ) के पहले दो वाक्यों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

"जिन मामलों को आर. ए. एल. सी. /जेड ए एल सी/ए एल सी के समक्ष रखना आवश्यक है, उस स्थिति में परिशिष्ट—19 में दिए गए अधिकार क्षेत्र के अनुसार अनुलग्नक की 25 प्रतियों सहित परिशिष्ट—17 में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मामलों में आवेदन की एक प्रति संबंधित लाइसेंसीकरण प्राधिकारी को भी पृष्ठांकित की जानी चाहिए। आर ए एल सी/जेड ए एल सी/ए एल सी संस्तुतकर्ता प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा।"

19. मौजूदा पैराग्राफ 108 (च) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"लाइसेंसीकरण प्राधिकारी अधिक से अधिक तीन माला आधारित शुल्क मुक्त लाइसेंस दे सकता है, जहां मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड आर ए एल सी/जेड ए एल सी/ए एल सी की सिफारिश के आधार पर निर्धारित नहीं किए गए हैं। दूसरा लाइसेंस देते समय, यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन निर्यातक के मानदण्डों के मानकीकरण के लिए मुख्यालय विशेष अग्रिम लाइसेंसीकरण समिति को पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किया है। इसके अलावा ऐसे आवेदन की एक प्रति संबंधित लाइसेंसीकरण प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी और एक प्रति आर ए एल सी/जेड ए एल सी को प्रस्तुत करनी होगी जहां पर आर ए एल सी/जेड ए एल सी लाइसेंसीकरण प्राधिकारी के स्थान से अलग स्थित है।"

20. पैराग्राफ 109 के पहले वाक्य को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

"लाइसेंसीकरण प्राधिकरणों, आर ए एल सी, जेड ए एल सी और ए एल सी की वित्तीय शक्तियां नीचे तालिका में दी गई है"

21. "जहां कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं" शीर्ष के अधीन पैराग्राफ 109 में दी गई तालिका को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

"आर ए एल सी की सिफारिश पर 50 लाख रु. एक लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य	"जेड ए एल सी की सिफारिश पर 50 लाख रु. से अधिक और 3 करोड़ रु. तक लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य	"ए एल सी की सिफारिश पर 3 करोड़ रु० से अधिक लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य
क्षेत्रीय लाइसेंसीकरण प्राधिकारी	क्षेत्रीय लाइसेंसीकरण प्राधिकारी	मुख्यालय में लाइसेंसीकरण प्राधिकारी
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

22. मौजूदा पैराग्राफ 109क को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"मानदण्डों के मानकीकरण के लिए, प्रक्रिया के परिशिष्ट—16 में पूरे आंकड़ों सहित विधिवत् भरे गए सभी आवेदन मुख्यालय विशेष अग्रिम लाइसेंसीकरण समिति को प्रस्तुत किए जाएंगें। महानिदेशक, विदेश व्यापार मख्यालय विशेष अग्रिम लाइसेंसीकरण समिति द्वारा संस्तुत ऐसे मानदण्डों को अधिसूचित कर सकते हैं।"

जब तक ऐसे मानदण्डों को अधिसूचित किया जाता है, लाइसेंसीकरण प्राधिकारी आवृत्ति आधार पर लाइसेंस दे सकता है बशर्ते कि आवेदक ने मानदण्डों के

मानकीकरण के लिए निर्धारित प्रपत्र में मुख्यालय विशेष अग्रिम लाइसेंसीकरण समिति को आवेदन किया हो और इसकी प्रति क्षेत्रीय लाइसेंसीकरण प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की गई हो जिसने लाइसेंस जारी किया है।

23. पैराग्राफ 118 के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जायगा :—

"उपर्युक्त के बावजूद, लाइसेंसधारी को अग्रिम अन्तर्वर्ती लाइसेंस/अग्रिम रिलीज आदेश/बैंक टू बैंक अन्तर्देशीय साख पत्र के अधीन मनोनीत अभिकरणों या स्वदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं से सामग्री प्राप्त करने से पहले लाइसेंसिंग प्राधिकारी को बैंक गारंटी/विधिक वचनपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। सुपर स्टार व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन/व्यापार सदन/निर्यात सदन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को परिशिष्ट-17 में दिए गए फार्म में विधिक वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य निर्यातकों को एक बॉण्ड प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ उन्हें मदों, जिन्हें वे प्रत्यक्ष आयात के स्थान पर स्वदेशी रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, के लागत बीमा भाड़ा मूल्य का 25% बैंक गारंटी देनी होगी।"

24. पैराग्राफ 118 में टिप्पण (ख) के अंतिम वाक्य को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जायगा :

"डी ई ई सी (आयातों) पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इस आशय का पृष्ठांकन करना होगा कि आयात पूरा होने के तत्काल बाद सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा इसे रख लिया जाएगा।"

25. पैराग्राफ 120 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :

"इस योजना के अधीन मंजूर लाइसेंस वास्तविक उपभोक्ता की शर्त के अधीन होगा, जब तक एल यू टी/बी जी को विमोचन नहीं कर दिया जाता। लाइसेंसधारी जोबर सहित किसी भी अन्य विनिर्माता के जरिए सामग्री को प्रोसेस करने के लिए स्वतन्त्र है। किन्तु, इस योजना के अधीन लाइसेंसधारी आयातित मदों और निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि आवेदक लाइसेंस में किसी विनिर्माता या जोबर का नाम जोड़ने का इच्छुक है तो वह ऐसे पृष्ठांकन के लिए आवेदन कर सकता है। किन्तु ऐसे पृष्ठांकन अनिवार्य होगा जहां अग्रिम लाइसेंस की एक शर्त निर्यात से पहले पूर्व आयात है और लाइसेंसधारी किसी अन्य विनिर्माता या जोबर के जरिए सामग्री को प्रोसेस करने का इच्छुक है। लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा ऐसा पृष्ठांकन करने पर इन्हें सह-लाइसेंसधारी माना जायगा और लाइसेंसधारी का दायित्व अब सह-लाइसेंसधारी का संयुक्त दायित्व हो जायगा। कोई भी सह-लाइसेंसधारी अपने नाम से या संयुक्त नामों से माल का आयात कर सकता है। बी जी/एल यू टी को भी इनके संयुक्त नामों से प्रस्तुत किया जायेगा।"

26. हवाई अड्डों और आई सी डी की सूची में निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा, जैसाकि पैराग्राफ 122 के टिप्पण में दिया गया है :

"विमानपत्तन	कोयम्बतूर एयरकार्गो काम्पलैक्स
आई.सी.डी.	पिम्परी (पुणे) : कानपुर, पितमपुर (इंदौर)।"

27. मौजूदा पैराग्राफ 123 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

लाइसेंस मूल्य में संवर्धन/कटौती

"123. (1) मात्रा पर आधारित लाइसेंस के मामले में संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी (उनकी वित्तीय शक्तियों के अनुसार) लाइसेंस के लागत बीमा भाड़ा मूल्य में संवर्धन/कटौती के आवेदन पर विचार कर सकता है बशर्ते आभार के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को भी आनुपातिक आधार पर बढ़ाया/घटाया गया हो तथा निवेश उत्पाद मानदंडों और नीति में कोई परिवर्तन न हो जिसके आधार पर लाइसेंस जारी किया गया था।

(2) संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकार (उनकी वित्तीय शक्तियों के अनुसार) लागत बीमा भाड़ा मूल्य निवेशों की मात्रा, निर्यात आभार के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और मात्रा आधारित लाइसेंस के आनुपातिक आधार पर निर्यातों की मात्रा में संवर्धन/कटौती के आवेदन पर विचार कर सकता है बशर्ते कि निवेश-उत्पाद, मूल्य संयोजन मानदंडों और नीति में कोई परिवर्तन न हुआ हो जिसके अनुसार लाइसेंस जारी किया गया था।

28. पैराग्राफ 126 (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

परिशिष्ट 26 में दिए गए फार्म में निर्यातों के बैंक प्रमाण-पत्र अथवा परिशिष्ट-34 में दिए गए फार्म में परियोजना प्राधिकारी से अदायगी प्रमाणपत्र। विदेश में स्थापित गोदामों में खेप आधार पर निर्यातों पर केवल निर्यात लाभों की प्राप्ति होने पर विचार किया जाएगा। ई पी जैड/ई ओ/यू/ई एच आई पी/एस टी पी को आपूर्तियों हेतु अग्रिम अन्तरवर्ती लाइसेंस और विशेष अग्रदाय लाइसेंस के मामले में शुल्क-मुक्त लाइसेंस के धारक या ई ओ यू/ई पी जैड यूनिटों से लाभों की प्राप्ति की बैंक द्वारा पुष्टि करने वाले कागजाती प्रमाण, जैसा भी मामला हो, सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से आवश्यक होगा।

29. पैराग्राफ 126 (3) (ख) के बाद दिए उप-पैरा को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"एल यू टी, डी ई ई सी (आयातों और निर्यातों दोनों हेतु) के मोचन के बाद उसे संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास रिकार्ड और उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेजा जाएगा। कुछ

आयातों जिन्हें पूरा किया जाना है, के मामले में, डी ई ई सी (आयात) को विशिष्ट पृष्ठांकन के साथ लाइसेंस धारक को लौटाया जा सकता है कि आयातों के पूरा होने के तुरन्त बाद संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारी उसे अपने पास रख ले।"

पैराग्राफ-127 (4) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"हस्तांतरणीयता के पृष्ठांकन के बाद, डुप्लीकेट लाइसेंस का जारी करना, लागत बीमा भाड़ा मूल्य में वृद्धि अथवा संशोधन पुनः वैधीकरण सहित स्वीकृत नहीं होंगे।"

31. पैराग्राफ 128(क) (4) के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ 125(क) 5 के रूप में जोड़ा जाएगा :—

"(5) निर्यातक द्वारा किए गए निर्यात आभार को पूरा करने में असमर्थ होने तथा लाइसेंस के तहत कोई आयात न करने के मामले में, लाइसेंस धारक के पास लाइसेंस को रद्द करवाने और सफेद/हरे शिपिंग बिलों को ड्राबैक शिपिंग बिलों में परिवर्तन हेतु सीमा शुल्क प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के बाद ड्राबैक हेतु आवेदन करने का विकल्प होगा।"

32. मौजूदा पैरा 128ख (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"निर्यात आभार को पूरा करने में निर्यातक के असमर्थ होने और लाइसेंस के तहत कोई आयात न करने के मामले में लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा तथा सफेद/हरे शिपिंग बिलों से ड्राबैक शिपिंग बिलों में परिवर्तन हेतु सीमा शुल्क प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के बाद निर्यातक ड्राबैक के लिए पात्र होगा। तथापि, यदि मात्रा या मूल्य या दोनों में कमी लागू किए कुल निर्यात आभार के 15% से ज्यादा नहीं है तो मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस को मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंस में परिवर्तित किए बगैर नियमन के उद्देश्य हेतु मात्रा और/अथवा मूल्य में आनुपातिक कमी के आवेदन पर क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है।"

33. मौजूदा पैरा 130 के बाद निम्नलिखित को पैरा 130क के तौर पर जोड़ा जाएगा :

33क. प्रक्रिया से छूट—130क इस योजना से संबंधित प्रक्रिया की ढील के लिए कोई भी अनुरोध नीति के पैराग्राफ 21 की शर्तों के अनुसार महानिदेशक, विदेश व्यापार को किया जा सकता है, जो अग्रिम लाइसेंसिंग समिति से परामर्श करेंगे और अग्रिम लाइसेंसिंग समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखने के पश्चात् महानिदेशक, विदेश व्यापार ऐसे आदेश या ऐसी ढील दे सकते हैं, जो उचित हो और जिसे आवश्यक समझा जाए ऐसी शर्तें लगाई जा सकती हैं।"

अध्याय 8

34. मौजूदा पैरा-132 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"निर्यात लाभों की प्राप्ति के बाद के छह महीनों के भीतर परिशिष्ट-23 में दिए फार्म के अनुसार संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास आवेदन किया जा सकता है। उन मामलों में, जहां आंशिक अदायगी की गई है, आंशिक अदायगी करने वाले महीने के बाद के छह महीनों के भीतर प्रतिपूर्ति लाइसेंस हेतु आवेदन किया जा सकता है। शर्त यह है कि प्रत्येक खेप के लिए ऐसे आवेदन दो से अधिक नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा शर्त यह है कि उक्त खेप के 50% लाभ प्राप्त होने के बाद ही ऐसा पहला आवेदन किया जाएगा। तथापि, उस मामले में जब अदायगी अग्रिम तौर पर प्राप्त की गई है और उसके बाद निर्यात किए गए हों, निर्यात करने वाले महीने के बाद के छह महीनों के भीतर प्रतिपूर्ति लाइसेंस हेतु आवेदन किया जाएगा। निर्धारित समय अवधि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन के साथ परिशिष्ट-24 में दिए गए फार्म के अनुसार (1) निर्यात और प्राप्ति का बैंक प्रमाण पत्र; (2) बीजक की सीमाशुल्क द्वारा प्रमाणित प्रति को संलग्न किया जाएगा।

खंडित लाइसेंसों को जारी करने के संबंध में प्रक्रिया पुस्तक (खंड-1) के पैरा-246 के उप-पैरा (1) से (4) में दी गई प्रक्रिया इस अध्याय में दिए प्रतिपूर्ति लाइसेंसों पर संशोधनों सहित लागू होगी।

35. पैरा 132ख के अंतिम उप-पैरा से पहले निम्नलिखित को उप-पैरा के तौर पर जोड़ा जाएगा :—

"हीरा साख पुस्तिका को बंद करते समय, निर्यातक परिशिष्ट-2 के अनुसार हीरा साख पुस्तिका की वैधता के दौरान प्राप्त की गई ऋण सीमा के लिए उपयुक्त आवेदन शुल्क अदा करेगा।"

36. मौजूदा पैरा 138-क के बाद निम्नलिखित नया पैरा—138ख जोड़ा जायेगा :—

138 ख : निर्यात आभार को पूरा करने के समर्थन में कागजात निर्यात आभार अवधि की समाप्ति की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास जमा कराने होंगे।

पैरा—144 को हटा दिया जायेगा।

38. मौजूदा पैरा 150(17) के बाद निम्नलिखित को पैरा 150(18) के तौर पर जोड़ा जायेगा :

"निर्यात केवल हवाई भाड़े और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, जयपुर, बंगलौर और कोचिन के सीमा शुल्क सदनों के माध्यम से अनुमित होंगे।"

39. मौजूदा पैरा 152(6) के बाद निम्नलिखित को पैरा 152(7) के तौर पर जोड़ा जायेगा :—

"निर्यात केवल हवाई भाड़े और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, जयपुर, बंगलौर और कोच्चिन के सीमा शुल्क सदनों के माध्यम से विदेशी डाकघर द्वारा स्वीकृत होगा।"

40. मौजूदा पैरा 154(6) के बाद निम्नलिखित को पैरा 154(7) के तौर पर जोड़ा जायेगा :—

सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ई पी जैड/ई ओ यू में यूनिटों से भारत सरकार टकसाल को स्वर्ण का स्क्रैप/डस्ट/स्वीपिंग भेजा जा सकता है और ई पी जैड/ई ओ यू को मानक स्वर्ण छड़ें दी जा सकती हैं।

अध्याय 9

41. पैराग्राफ 188 के अंत में निम्नलिखित वाक्य को जोड़ा जायेगा :—

"पालन हेतु प्रक्रिया और केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति के लिये आवेदन का प्रपत्र परिशिष्ट 34ग में दिया गया है। [परिशिष्ट 34-ग को इस सार्वजनिक सूचना के साथ (अनुलग्नक-1) जोड़ दिया गया है]

अध्याय 10

42. पैराग्राफ 196 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :

नीति के पैरा 121 के अन्तर्गत आपूर्ति की कतिपय श्रेणियों को अभिग्रहीत निर्यात वर्गीकृत किया गया है। पैरा 121 (ग), (ङ), (च), (ज) और (झ) की श्रेणियों को विशेष अग्रदाय लाइसेंस सहित पैराग्राफ 122 के अधीन उपर्युक्त लाभ दिये जायेंगे। पैरा 121 की श्रेणी (क) के मामले में नीति के पैराग्राफ 55, 64 एवं 64(क) में दिये अनुसार अग्रिम रिलीज आदेश/बैंक टू बैंक अन्तर्देशीय साख पत्र/अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंस को अभिग्रहीत निर्यात का लाभ दिया जाएगा। देशज आपूर्ति कर्ता को जारी किये गये अग्रिम रिलीज आदेश/बैंक टू बैंक अन्तर्देशी साख पत्र के आधार पर पैराग्राफ 122(ख), (ग) और (घ) के अधीन देशज आपूर्तिकर्ता को लाभ दिये जायेंगे। तथापि देशी आपूर्तिकर्ता को पैराग्राफ 122(घ) के अधीन विशेष आयात लाइसेंस के लाभ केवल अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंस के मामले में ही दिये जायेंगे। पैरा 121(घ) में दी निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम के अन्तर्गत लाइसेंस धारक के पंजीगत माल की आपूर्ति से पैरा 122(ग) और (घ) के अन्तर्गत प्राप्त लाभ ही प्राप्त होंगे। देशज आपूर्ति के तथ्य के स्थापित करने के लिये लाइसेंसिंग प्राधिकारी या संबद्ध बैंक जैसा भी मामला हो द्वारा संबद्ध आयात लाइसेंसों को ठीक प्रकार से संशोधित अथवा आशायित करके अग्रिम प्रेषण आदेश (ए आर ओ)/बैंक टू बैंक अन्तर्देशीय साख पत्र अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंस जारी किये जायेंगे। सभी मामलों में आपूर्तियां नामित परियोजनाओं/अभिकरणों/यूनिटों/शुल्कमुक्त लाइसेंस धारकों को सीधे ही की जायेंगी।

42. पैराग्राफ 197 का "हाशिया शीर्ष निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा—

"अग्रिम रिलीज आदेश/बैंक टू बैंक अन्तर्देशीय साख पत्र जारी करने की प्रक्रिया"

43. मौजूदा पैराग्राफ 197 को पुनः "197(1)" संख्यांकित किया जायेगा।

44. "197(2)" के रूप में नए उप पैराग्राफ निम्न अनुसार जोड़ा जायेगा :—

"(2) बैंक टू बैंक अन्तर्देशीय साख पत्र जारी करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है :

(क) शुल्क मुक्त लाइसेंस धारक (अंतरिती सहित) स्वदेशी आपूर्तिकर्ता के पक्ष में अन्तर्देशीय साख पत्र खोलने के लिये बैंक में आवेदन कर सकता है। साख पत्र खोलने से पूर्व, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि शुल्क मुक्त लाइसेंस धारक (अंतरिती के अतिरिक्त) द्वारा आवश्यक विधिक वचनपत्र/बैंक गारन्टी निष्पादित कर दी गई है और लाइसेंस पर आवश्यक पृष्ठांकन उपलब्ध है।

(ख) बैंक-टू-बैंक साख पत्र की सुविधा केवल उन मामलों में उपलब्ध होगी जहां लाइसेंस में शामिल एक या अधिक मदों के पक्ष में कुल मात्रा, लाइसेंस धारक द्वारा देशीय स्रोतों से अर्जित की गई हो।

(ग) अनुरोध प्राप्त होने पर, संबंधित बैंक इस प्रयोजन के लिये पूर्व निर्धारित मूल्य के साथ संबंधित मद की कुल मात्रा के प्रत्यक्ष आयात के लिये लाइसेंस अवैध कर देगा और इस पुस्तक के पैराग्राफ 116क के अनुसार आवश्यक पृष्ठांकन करेगा।

(घ) यह सुविधा, लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की किसी भी एक मद के पक्ष में एक बैंक और एक शाखा में साख-पत्र खोलने के कार्य के लिये उपलब्ध होगी। लेकिन मद की पूरी मात्रा एवं मूल्य उसी शाखा एवं बैंक से परिचालित करनी होगी। तथापि, उसी लाइसेंस में किसी अन्य मद के लिये लाइसेंस धारक किसी भी शाखा या बैंक में उपरोक्त साख-पत्र खोल

सकता है, बशर्ते कि प्रत्येक मद की पूरी मात्रा एवं मूल्य को उसी शाखा और बैंक में परिचालित करना होगा। लाइसेंस धारक अपनी सुविधानुसार किन्हीं में भी साख-पत्र खोल सकता है, बशर्ते कि लाइसेंस धारक उसी शाखा या बैंक में किसी एक मद की पूर्ण मात्रा और मूल्य का लाभ दिया गया हो। इस पुस्तक के पैराग्राफ 116क के निर्देशानुसार लाइसेंस स्वदेशी स्रोत से प्राप्त मद की पूर्ण मात्रा और मूल्य के संबंध में केवल प्रत्यक्ष आयात के लिये बैंक द्वारा अवैध कर दिया जायेगा।

(ङ) मूल साख-पत्र मोलतोल के लिये बैंक द्वारा प्रतिभूत किया जा सकता है और केवल मोलतोल न किये जाने वाले साख-पत्र की प्रति स्वदेशी आपूर्तिकर्ता को दी जा सकती है। स्वदेशी आपूर्तिकर्ता अभिग्रहीत निर्यातों के लिये उनके दावे को प्रस्तुत करते समय केवल मोल तोल न किये जाने वाले साख पत्र की प्रति प्रस्तुत करेगा।

45. उप पैरा 202क(1) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा :—

"ई एच टी पी/एस टी पी को ऐसी आपूर्तियां करने के के बारे में संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को आवेदन किया जायेगा

46. पैराग्राफ 202क(1)(ख)(3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

"(3) संबंधित विकास आयुक्त द्वारा जारी ए आर ओ/आगे पीछे अन्तर्देशीय साख-पत्र/अधिकार पत्र की प्रति जिस पर इस आशय का पृष्ठांकन हो कि आपूर्ति प्राप्त हो गई है।

47. पैराग्राफ 205 के अंतिम वाक्य को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"रसायन और विशेष सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियों के दोहरे प्रयोजन के निर्यात के लिए आवेदन पर एक विशेष उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जाएगा जैसा कि सार्वजनिक सूचना सं. 68 दिनांक 31-3-95, यथा संशोधित, में निर्दिष्ट किया गया है जिसमें परिशिष्ट 38 और परिशिष्ट 38—क में क्रमश: अतिरिक्त सूचना प्रदान करने के बारे में निर्दिष्ट किया गया है" (इस सार्वजनिक सूचना के साथ परिशिष्ट 38-क अनुलग्नक-2 के रूप में जोड़ा गया है)।

48. पैरा—207 के प्रथम वाक्य को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"सार्वजनिक सूचना संख्या—15 दिनांक 31-3-95 में विनिर्दिष्ट अनुसार नमूनों और प्रदर्शों के निर्यात हेतु महानिदेशक, विदेश व्यापार को आवेदन किया जा सकता है जो आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार करके लाइसेंस जारी कर सकते हैं।"

49. पैरा—209 ख में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा :—

(क) पैराग्राफ 209ख(2) के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

"(3) परिशिष्ट—24 में लिखे अनुसार निर्यातों का बैंक प्रमाण पत्र।

(4) आर सी एम सी की अनुप्रमाणित प्रति;"

(ख) पैरा 209 ख का अंतिम वाक्य निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"तथापि, ऐसे मामलों में निम्नलिखित मदों के आयात हेतु लाइसेंसों को पृष्ठांकित करने की अनुमति होगी" :—

1. 20" और 21" आकार की रंगीन टी वी पिक्चर ट्यूबों, यानी, केथोड रे ट्यूबों, उनकी सब-एसेम्बली और एसेम्बली जिसमें रंगीन टी वी पिक्चर ट्यूब अपवाद स्वरूप 21" फ्लैट और फुल स्क्वायर (एफ और एफ एस टी) रंगीन टी वी पिक्चर ट्यूबों और उनकी सब-एसेम्बली।

2. कम्प्यूटर सिस्टम जिसमें पर्सनल कम्प्यूटर, लागत बीमा भाड़ा मूल्य रु. 1.50 लाख से कम या की बोर्ड और मानीटर्स, प्रत्येक का लागत बीमा भाड़ा मूल्य रु. 7,500/- से कम शामिल हैं। इस उद्देश्य हेतु, कम्प्यूटर सिस्टम में एक की बोर्ड और मानीटर और इन-बिल्ट पेरीफिरल्स शामिल हैं, लेकिन पेरीफिरल्स पर कोई अन्य योग छोड़कर।

3. पॉपुलेटेड, लोडेड या स्टफ्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, क्वार्टज घड़ियों में इस्तेमाल होने वाले इलैक्ट्रानिक सर्कट बोर्डों को छोड़कर।

50. पैराग्राफ 226(क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

"नीति के पैराग्राफ 153 के उपबन्धों के अनुसार, निर्माताओं ने आई.एस.ओ. 9000 (सीरीज) अथवा आई एस/आई एस ओ 9000 (सीरीज) की गुणवत्ता स्तर को प्राप्त कर लिया है, वे विशेष आयात लाइसेंस पाने के पात्र होंगे। उनकी पात्रता का हिसाब, पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान उपर्युक्त गुणवत्ता प्रमाणपत्र के अनुसार तैयार उत्पाद के निर्यात (लेकिन इसमें अभिग्रहीत निर्यात शामिल नहीं है) के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर दो प्रतिशत के दर से लगाया जायेगा। जिन उत्पादकों/संसाधकों (प्रोसेसरों) के गुणवत्ता का वैसा ही अन्तरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त अन्य प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है जैसा केन्द्र सरकार द्वारा नीति के पैराग्राफ 153 के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचित कर दिया है, वे भी विशेष आयात

लाइसेंस पाने के पात्र होंगे। उनकी पात्रता उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उन दरों पर होगी जो पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान उक्त गणवत्ता प्रमाणपत्र के अनुसार किये गये निर्यात (लेकिन इसमें अभिग्रहीत निर्यात शामिल नहीं है) के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

अध्याय 15

51. पैराग्राफ 231 के दूसरे उपपैरा को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"तथापि, ए सी यू देशों को निर्यात करने के लिए जारी शुल्क मुक्त लाइसेंसों पर निर्यात आभार का मूल्य ए सी यू डालरों में आंका एवं अदा किया जाएगा। अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंस एवं विशेष अग्रदाय लाइसेंस के तहत निर्यात आभार, जहां आपूर्ति देश के भीतर ही की गई है, भारतीय रुपयों में ही गिना जाएगा तथा निर्यात आभार का निष्पादन भी भारतीय रुपयों में ही किया जाएगा जिसमें भारतीय रुपयों में आयात के वास्तविक मूल्य को ध्यान में न रखते हुए लाइसेंस पर निर्दिष्ट लागत बीमा भाड़ा मूल्य की गणना भी भारतीय रुपयों में की जाएगी।"

52. पैराग्राफ 233 के तीसरे वाक्य में दर्शाए अंक और चिह्न "10%" को अंक और चिह्न "20%" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

53. पैराग्राफ 258 के अन्त में "(ज)" और "(झ)" के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा :—

(ज)	विशेष आयात लाइसेंस (मुक्त रूप से अन्तरणीय)	7 दिन
(झ)	मानक निवेश उत्पादन मानदण्ड का नियतन	60 दिन

परिशिष्ट—2

54 क्र.सं 4 की मौजूदा प्रविष्टि को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा—

'पास बुक और डायमंड क्रेडिट बुक सहित डुप्लीकेट लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन'

परिशिष्ट—6

55. परिशिष्ट-6 में जहां कहीं भी शब्द 'लाइसेंस' आया है उसके बाद शब्दों "/पासबुक/डायमंड क्रेडिट बुक" को जोड़ा जाएगा।

परिशिष्ट—11-क

56. परिशिष्ट 11-क में मौजूदा प्रविष्टि संख्या-20 के बाद निम्नलिखित नए नामों को जोड़ा जाएगा:—

"21. मैसर्स मैटालर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसलटेंटस (इंडिया) लि.,
रांची-834002,
बिहार
भारत
टेलीफोन: 0651-501002/501216
टेलेक्स: 0625-262 मेकन इन
फैक्स: (91)-651-502214/502189

22. मैसर्स शिन निहौन केंटेई क्योकई
केइक्यू नं. 2, बिल्डिंग, [illegible]
तकानावा 3-कोम,
मिनाटो-कू,
टोक्यो 108,
जापान
टैलेक्स: 2423486 केंटेई जे
फैक्स: 81-3-3449-2814

23. मैसर्स जापान क्वालिटी एश्योरेंस आर्गेनाइजेशन
(निहौन हिंशित्सु होशो किको)
1-9-15, अकास्का, मिनोटो-कु.
टोक्यो 107
जापान
टेलीफोन: -81-3-3583-9001
फैक्स: - 81-3-3583-9002

24. मैसर्स निप्पोन केइजी केंतेई
क्योकई, 9-7-1 कोम,
हैचो बोरी, छूकू,
टोक्यो,
जापान

परिशिष्ट-11क के क्रमांक-20 पर "मैसर्स लायड रजिस्टर इंडस्ट्रियल सर्विसेज का नाम पते सहित हटा दिया जाएगा।

परिशिष्ट-15

57. परिशिष्ट-15-उपाबन्ध (2) पर दिए मौजूदा प्रमाणन के स्थान पर चार्टरित एकाउंटेंट/कास्ट और वर्क्स एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणन को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने उपरोक्त निर्यातक की एकाउंटेंट बुकों की जांच कर ली है और किए गए और अभिग्रहीत दोनों निर्यात के बारे में ऊपर दिए ब्यौरे सही हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि जो ई पी सी जी लाइसेंस संख्या और दिनांक क्रमांक (ख), में निहीत सभी शिपिंग बिल मेरे/हमारे द्वारा सत्यापित किए गए हैं"।

परिशिष्ट 17-ग

58. 1. पास बुक के पहले पृष्ठ के पैरा-2 में "बशर्ते कि शुल्क मुक्त स्कीम के तहत लागू अनुसार आयातों की निषेधात्मक सूची अथवा संवेदनशील मदों में ये मदें शामिल न हों" को हटा दिया जाएगा।

2. पास बुक के पहले पृष्ठ के पैरा-2 में "निर्यात आयात नीति/प्रक्रियाएं" से पहले "और जैसा प्रावधान हो" को जोड़ दिया जाएगा।

"पास बुक को संचालित करने हेतु अनुदेशों" में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाएगा :—

(क) अभिव्यक्ति "भाग-क" "भाग-ख" "भाग-ग" और "भाग-घ" जहां कहीं भी उल्लिखित हों संशोधित करके क्रमश: "भाग-2(क), भाग-2(ख), भाग-2(ग) और भाग-2(घ)" पढ़ा जाएगा।

(ख) पैरा-4 में कालम संख्या-10, 11 और 12 को संशोधित करके कालम संख्या-11, 12 और 13 पढ़ा जाएगा।

(ग) पैरा-6 में, तीसरे वाक्य को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"निकासी प्रविष्टियों हेतु निर्यातक को कालम संख्या 1 से 10 की जांच करने के बाद कालम संख्या 11 से 16 में सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा विधिवत पृष्ठांकित प्रविष्टियों के बिल सहित परिशिष्ट-17-ग में भाग-2(ग) (यथा संशोधित) के अनुसार प्रोफार्मा में विवरण देना देना होगा।

(घ) भाग-2(ख) के कालम संख्या-9 को संशोधित करके "मूल सीमाशुल्क की दर" पढ़ा जाएगा।

(ङ) भाग 2 (घ) में, कालम (1) में, शब्द और आंकड़े "कालम 9" को संशोधित करके "कालम 13" पढ़ा जाएगा।

(च) भाग 2(घ) में, कालम (2) में, शब्द और आंकड़े "कालम 8" को संशोधित करके "कालम 13" पढ़ा जाएगा।

परिशिष्ट 18

59. परिशिष्ट 18 में प्रमाण पत्र के प्रारम्भिक पैराग्राफ इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"परियोजना अधिकारी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए मुझे ························· (नाम और पदनाम) विधिवत प्राधिकृत किया गया है। मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि—

मैं ····························· को क्रयादेश सं. ················ तारीख ······· के विरुद्ध नीचे उल्लिखित मूल्य, मात्रा और विवरण की वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए ठेका मिला है जिसका कुल मूल्य ··················· रु. (शब्दों में ························) है।

60. परिशिष्ट 18 में दिए गए परियोजना अधिकारी प्रमाणपत्र के नीचे उप-पैराग्राफ के रूप में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :

"तथापि, ई ओ यू/ई पी जैड/ई एच टी पी/एस टी पी को जाने वाली आपूर्तियों के मामले में प्रमाणपत्र पर ई ओ यू/ई पी जैड/ई एच ई पी/एस टी पी के प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।"

61. परिशिष्ट 18 में, पैरा ग्राफ 2 के बाद दी गई टिप्पणी "10 केवल पैरा 1(ख), (ग) और (घ) पर ठेके से है" को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा : "X केवल पैरा 1 (क), (ख) और (घ) पर ठेके से संबद्ध है"

62. परिशिष्ट 18 के टिप्पण में मौजूदा क्र.सं. (4) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा :

"ई ओ यू/ई पी जैड/एककों को आपूर्ति करने के मामले में, प्रमाणपत्र पर एकक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।"

परिशिष्ट 22

63. परिशिष्ट 22 में, क्र.सं. 9 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :

"9. क्या सरकार के किसी अभिकरण
द्वारा कारण बताओ नोटिस,
जब्ती आदेश, या भुगतान करने
की मांग आदि के रूप में कोई
निर्णयादेश/प्रवर्तन कार्रवाई प्रारम्भ
की गई है ;"

64. परिशिष्ट 24 में लिखे गए टिप्पण 2 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा .

परिशिष्ट 24

65. "2. पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की वास्तविक प्राप्ति और निर्यात आय की प्राप्ति की तारीख को केवल निर्यात-आयात नीति/प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 8 के अधीन किये गये निर्यात के मामले में दिया जायेगा। ऐसा करना नीति/प्रक्रिया के अध्याय 7 के अधीन भी जरूरी है जहां विदेश में स्थापित गोदामों को खप के आधार पर निर्यात किया गया है।

परिशिष्ट 25–क

66. निम्नलिखित डायमंड क्रेडिट बुक के भाग 2(ग) के पिछले पृष्ठ पर दिये गये फार्म को भरेगा:

बैंक द्वारा भरा जायेगा

सौदे की तारीख	सौदे का विवरण	साखपत्र खुले हुए या साख-पत्र के अधीन न दिये गये बिलों के बराबर रुपया	वास्तविक प्रेषण के बराबर रुपया	बैंक की मोहर और हस्ताक्षर

परिशिष्ट—35

67. परिशिष्ट 35 का वर्तमान शीर्षक और उसमें आने वाली मदों की सूची निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगी :—

विशेष आयात लाइसेंस मदें

प्रक्रिया-पुस्तक (खण्ड–1) के संगत अध्यायों के साथ पठित निर्यात एवं आयात नीति, 1992—97 के पैराग्राफ 108, 122, 142 और 153 के अधीन जारी मुक्त रूप से हस्तांतरणीय विशेष आयात लाइसेंस (एस आई एल) के मद्दे आयात के लिए अनुमेय मदें आई टी सी (एच एस) निर्यात एवं आयात मदों का वर्गीकरण नामक पुस्तक के कालम 3 से 5 में उल्लिखित है जोकि विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित रूप में प्रकाशित एवं संशोधित की गई है।

परिशिष्ट 42क

68. वर्तमान प्रविष्ट सं. 28 के बाद निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :–

29	विद्युत्करघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद् (पी डी ई एक्सपी सी आई एल)	सिविल कोर्ट, "बी" विंग, चौथातल, महाकवि भूषण मार्ग, रीगल के पीछे, कोलाबा, मुम्बई-400039 दूरभाष–202 722

परिशिष्ट 43 (छ)

69. परिशिष्ट 43 (छ) में दी गई सार्वजनिक सूचना 274 (पी एन)/ 92—97 दिनांक 23-2-1995 की प्रविष्टि सं. (छ) में दी गई आयातकों की श्रेणी :—

"(छ) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आई जी आर यू ए) और ऐसी ही उड़ान क्लब्स/अकादमी जो नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो"

परिशिष्ट 43–ज

70. 1. परिशिष्ट 43–ज के पैराग्राफ 2 और 3 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

2. महानिदेश, विदेश व्यापार एतद्द्वारा पौध, पौधभरों और उनके व्युत्पन्नों तथा वन्य में प्राप्त सान्द्रण के निर्यात का निषेध निम्नानुसार करते हैं :—

1. एकोनित्य इस्पेसीज।
2. अद्रोपा इस्पेसीज।
3. एरिस्टोलोचिआ इस्पेलीज।
4. एन्मियोपटेरीज इस्पेलीज।
5. अरूना डिनाटिआ इस्पेलीज।
6. ब्लानोफोरा इस्पेलीज।
7. कोलचिकम लुटेराम (हिरन तुतया)
8. कोमीफोरा विघटी।
9. कोप्तिस इस्पेलीज।
10. ड्रोसेरा इस्पेलीज।
11. जेन्टियाना कुरू (कुरू, कुटकी)।
12. ग्लोरिओसा सुपर्बा।
13. जिनेटम इस्पेलीज।
14. इफिगनिआ इन्डिका।
15. मेकोनोपसिस बेटोनी सिफोलिया।
16. नरडोस टेपीज इस्पेलीज (जटामासी)।
17. ओस्मुण्डा इस्पेलीज।
18. रोडोड्रेन ड्रोन इस्पेलीज।
19. फ्री सोचलना प्रेल्टा (बजरबंग)
20. प्रेलटिआ सरपुमलिआ।
21. रेअम इमोडी (डोलू)।
22. बेरबेरिस एरिसटाटा (इण्डियन बारबेरी; रसवट)।
23. एकोटल इस्पेलीज।
24. अर्टे मीसिआ इस्पेलीज।
25. कोलकीनियम फेनेस ट्रेटम (केलम्बा वुड)।
26. कोसटस इसपेसिआसस (केयू, कस्त)।
27. डिडी मोकारपस पेडिसेलाता।
28. डोलोमिए पेडिसेलाना।
29. इफेड्रा स्पेलीज।
30. गारनोकार्डिआ ओडोटेटा (चोल मोग्री)।
31. हिडनो कारपस इस्पेलीज।
32. हिओस सीमस नाइजर (ओस बई)

33. स्ट्रिकनोस फोटेटोरम (निरमली)।

34. सवरटिश्रा चिराटा (चरायातह्)।

35. उरजीनिश्रा इस्पेलीज।

36. वेडोमल सिकार्ड (सीकम वेडामी)।

37. ब्लू वेन्डा (वेनड़े ग्रोरुलिश्रा)।

38. कच (सोसूरिश्रा लप्पा)। ..

39. लेडीज स्लीपर ग्रोचिड (पफिग्रो पेडीलियम इस्पेलीज)।

40. पियर प्लान्ट (नेपेनथील खासी ग्राना)।

41. रेड वेन्डा (रेननथेरा इमसचूटि ग्राना)।

42. रोवोलीपिग्रा सर्पेनटिना (सरपा गन्धा)।

43. सेरोपेजिश्रा इस्पेलीज।

44. फ्रेटिग्रा इण्डिका (शिन्डल मन कुन्डी)।

45. ग्ररोकाटिश्रा ग्ररोकाना (मंकी-पजल ट्री)।

46. पोडोफीलम हेक्सेनड्रम (इमोडी) (इण्डियन पोडो फिलम)।

47. केकटे सिश्रा इस्पेलीज (केकटस)।

48. सयाथेसी इस्पेलीज (ट्री फनर्स)।

49. सीसाडेली इस्पेलीज (सीकेडस)।

50. डिग्रोस कोटिग्रा डेलटो इडिग्रा (एलिफेन्टस फुट)।

51. यूफोरबिश्रा इस्पेलीज (यूफोर्बि मासा)।

52. ग्रलो इस्पेलीज (ग्रलोस)।

53. ग्रोरचिडासी इस्पेलीज (ग्रोरचिड्स)।

54. पिटरोकार्पस सेन्टालिनल (रेड सेन्डर्स)।

55. टेक्सल वाल्लि चि ग्राना (कामन ये या विर्मीलीक्स)।

56. एकीलेरिग्रा मेला सेन्सिस (ग्रमर वुड)।

3. उपर्युक्त इस्पेसीज की कल्टीवेटिड वेराइटियों के पौध ग्रंशों, व्युत्पन्नों ग्रौर सान्द्रण (मूल्य वर्धन हर्बल फार्मूलेशन सहित) (क्रम सं. 54 को छोड़कर) का निर्यात क्षेत्रीय उप निदेशक (वन्यजीव) या मुख्य वन संरक्षक या सम्बन्धित राज्य के ग्रंश प्राप्त किए गए हैं, से कल्टीवेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ग्रनुमेय होगा। तथापि, साइट्स के परिशिष्ट 1 (उपर्युक्त पैरा 2 की क्रम सं. 42 से 56) में ग्राने वाली इस्पेलीज कल्टीवेटिड प्रकारों के सम्बन्ध में निर्यात के लिए साइट्स प्रमाण पत्र की भी ग्रावश्यकता है।

4. निर्यात की केवल 6 प्रमुख पत्तनों ग्रर्थात बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली, मद्रास ग्रौर टूटी कोरिन से ग्रनुमति होगी।

परिणामस्वरूप सार्वजनिक सूचना पत्र दिनांक 30-3-1994 में वर्तमान पैराग्राफ 3 को 5 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

71. परिशिष्ट 43-क्ष में सार्वजनिक सूचना 15 दिनांक 31-3-93 के ग्रनुलग्नक की क्रम संख्या 5 में ग्राने वाली प्रविष्टि को हटा दिया जाएगा।

72. परिशिष्ट 43—क्ष में सार्वजनिक सूचना 15 दिनांक 31-3-93 के ग्रनुलग्नक की क्रम सं. 26 पर कालम 2 में दिया गया मद का विवरण निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :—

26. प्याज के बीजों के ग्रलावा सभी प्रकार के पेड़ों (सभी जंगली जातियों के बीजों को छोड़कर) झाड़ियों, सजावटी पौधों ग्रौर फूलों तथा सब्जियों के बीज।

उक्त प्रविष्टि के कालम 3 में दी गई शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं है।

73. परिशिष्ट 43—क्ष में सार्वजनिक सूचना 15 दिनांक 31-3-93 के ग्रनुलग्नक की क्रम सं. 36 पर ग्राने वाली प्रविष्टि निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :

"36. यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना पत्र दिनांक 30-3-94 में न ग्राने वाले पौधे ग्रौर पौध ग्रंश जो वन्य से प्राप्त है ग्रौर उनके कल्टीवेटिड प्रकार, सान्द्रण ग्रौर व्युत्पन्न को छोड़कर, ऐसे पौधों के मूल्य वर्धित हर्बल फार्मूलेशनस सहित, जिन पर यह शर्ते लागू नहीं होंगी।	"(1) वन्य से प्राप्त पौधों ग्रौर पौध ग्रंशों का निर्यात क्षेत्रीय उपनिदेशक (वन्य-जीव) या मुख्य वन संरक्षक या सम्बन्धित क्षेत्रीय वन ग्रधिकारी से विधिक मुख्तारी प्रमाण पत्र (एल पी सी) प्रस्तुत करना पड़ेगा जहां से यह पौधे ग्रौर पौध ग्रंश प्राप्त किए गए हैं। (2) कल्टीवेटिड वेराइटीज के पौधों ग्रौर पौध ग्रंशों का निर्यात की उपर्युक्त प्राधिकृत ग्रधिकारियों से कल्टीवेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ग्रनुमति होगी। (3) निर्यात की ग्रनुमति केवल 6 प्रमुख पत्तनों ग्रर्थात् बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली, मद्रास या टूटीकोरिन से होगी।

परिशिष्ट 43—ठ

74. परिशिष्ट 43—ठ में निम्नानुसार एक नया पैराग्राफ 3 जोड़ा जाएगा :

3 ऊपर यथा विनिर्दिष्ट मदों के निर्यात की ग्रनुमति केवल दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता ग्रौर मद्रास पत्तनों से होगी।

परिणामस्वरूप परिशिष्ट 43-ठ में वर्तमान पैरा 3 का 4 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ।

परिशिष्ट 43—5

75 सार्वजनिक सूचना सं. 82 दिनांक 25 मार्च, 1996 को पुनः प्रस्तुत करने वाला एक नया परिशिष्ट 43—5, पदार्थों पर मान्ट्रीयल प्रोटोकाल के अनुलग्नक क और ख में रसायनों को विनिर्दिष्ट करते हुए शामिल किया गया है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जोड़ी जाएगी। (परिशिष्ट 43—5) (अनुलग्नक 3) इस सार्वजनिक सूचना के साथ संलग्न है)।

परिशिष्ट 48

76.1. परिशिष्ट 48 की शीर्ष में आने वाले "आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों" शब्दों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"आयुर्वेदिक, यूनानी या चिकित्सा की कोई अन्य पद्धति"

77. 2. क्रम सं. 56 में दी गई "ब्लैक क्युमिन मद विवरण निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"56. ब्लैक क्यूमिन (काला जीरा/स्याह जीरा)	करुमकरवी या करुम बुलबोकास्टानम

उपर्युक्त संशोधन प्रक्रिया-पुस्तक (खण्ड-1), (1992-97) (संशोधित संस्करण : मार्च, 1996 के भाग होंगे)

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

ह.

श्यामल घोष, महानिदेशक, विदेश व्यापार

परिशिष्ट-34-ग अनुलग्नक 1

घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी टी ए) से निर्यात संसाधन क्षेत्रों/मुक्त व्यापार क्षेत्र में यूनिटों और निर्यात उन्मुख क्षेत्रों को की गई आपूर्तियों पर केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं ।

टिप्पणी :—कृपया नीति का पैराग्राफ 106 और प्रक्रिया पुस्तक का पैरा 188 देखें ।

घरेलू टैरिफ क्षेत्र से ई ओ यू/ई पी जेड/एफ टी जेड यूनिटों द्वारा की गई खरीदों पर उनके द्वारा अदा किए गए सी एस टी की प्रतिपूर्ति को संचालित करने वाली प्रक्रियाओं के संशोधन हेतु सुझावों पर सरकार विचार कर रही है । उचित विचार करने के बाद यह निर्णय किया गया है कि इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आदेश संख्या 1-9-86 ई पी दि. 27-7-1987 और संख्या 10-3-86-ई पी जेड दिनांक 4-11-1986 (यथासंशोधित) के अधिक्रमण में निम्नलिखित आधार पर प्रक्रिया को संशोधित किया जाता है ।

2. निर्यात उन्मुख यूनिटें (ई ओ यू) और निर्यात संसाधन क्षेत्रों (ई पी जेड) और मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफ टी जेड) में यूनिटें निम्नलिखित शर्तों पर, निर्यात उत्पादन हेतु उपयोग के लिए, घरेलू टैरिफ क्षेत्र से उनके द्वारा की गई खरीदों पर बाजार विकास सहायता (एम डी ए) के धन से, केन्द्रीय बिक्री कर पर उनके द्वारा की गई अदायगी की पूर्ण प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगी ।

(1) डी टी ए से ई ओ यू/ई पी जेड/एफ टी जेड यूनिटों को की गई आपूर्तियां निर्यात उत्पादन के लिए उपयोग के लिए और/अथवा निर्यात के लिए वस्तुओं के उत्पादन हेतु आवश्यक तौर पर उपयोग की जानी चाहिए जिनमें कच्चा माल, संघटक, उपभोज्य पैकिंग सामग्रियों, पूंजीगत माल, पुर्जे मैटीरियल, हैंडलिंग उपस्कर आदि शामिल है जिन पर ई ओ यू/ई पी जेड/एफ टी जेड यूनिटों द्वारा वास्तव में केन्द्रीय बिक्री कर अदा किया गया है ।

(2) केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पर विचार करते समय विकास आयुक्त, इसके साथ-साथ देखेंगे कि निर्यात हेतु माल के उत्पादन और/अथवा यूनिटों द्वारा निर्यात उत्पादन के उपयोग के लिए खरीददारी आवश्यक है ।

3. इस बारे में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इसके बाद बताई गई है और इसे कड़ाई से लागू किया जाएगा :—

प्रक्रिया :

(1) ज्यों ही ई ओ यू/ई पी जेड/एफ टी जेड यूनिटों द्वारा अपने परिसरों में माल की प्राप्ति की जाती है इसे इस उद्देश्य हेतु रखे जाने वाले माल रसीद रजिस्टर में माल का ब्यौरा, मात्रा, खरीद का स्त्रोत और सी फार्म जिसके तहत खरीद की गई आदि दर्शाया जाना चाहिए । क्षेत्र के प्राधिकृत स्टाफ /सीमा शुल्क प्रशासन द्वारा उस रजिस्टर की आवधिक जांच की जाएगी । दावे से सम्बद्ध रजिस्टर की एक स्व-प्रमाणित प्रति दावे के साथ प्रस्तुत की जाएगी ।

(2) केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति केवल उन एककों के लिए ग्राह्य होगी जो (पंजीकरण और कारोबार) नियमावली, 1957 के साथ पठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अनुसार बिक्री कर प्राधिकरणों में स्वयं को पंजीकृत करवायेंगे और सम्बद्ध फाइल में रखने के लिए संबंधित जोन कार्यालय को बिक्री कर प्राधिकरणों द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक फोटो प्रति प्रस्तुत करेंगे । ई पी जेड/ई ओ यू के लिए अलग सी एस टी पंजीकरण लेना होगा ।

(3) एकक को संबंधित ई पी जेड के विकास आयुक्त को निम्नलिखित दस्तावेजों सहित निर्धारित फार्म (अनुलग्नक -1) में केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति के लिए अपना दावा प्रस्तुत करना होगा :–

(क) आपूर्ति कर्ता का मूल बीजक/बिल जिसमें मदों का विवरण, मात्रा, मूल्य, दिए गए सी एस टी की राशि आदि का ब्यौरे दर्शाए गए हों और खरीददार तथा आपूर्तिकर्ता दोनों की सी एस टी पंजीकरण संख्या दी गई हों,

(ख) आपूर्ति करने वाले एकक को खरीददार द्वारा जारी किए गए-ग फार्म की फोटो कापी जिसे एकक द्वारा पेश की गई अधपन्ना के संदर्भ में जोन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा । "रद्द/सी एस टी की प्रतिपूर्ति की गई" जैसा उपयुक्त पृष्ठांकन करने के पश्चात एकक को ग फार्म का अधपन्ना वापिस कर दिया जाएगा जिसे जोन प्रशासन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जायेगा और अधिकारी द्वारा संबंधित फाइल में रखने के लिए इसकी एक फोटो प्रति रख ली जायेगी ।

(ग) सी एस टी सहित बिल की राशि की प्राप्ति के टोकन के रूप में आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी मूल रसीद (फोटो प्रति सहित) जिसका एकक द्वारा पेश किए गए मूल दस्तावेज के संदर्भ में जोन प्रशासन के संबंधित अधिकारी द्वारा मिलान और सत्यापन किया जायेगा । तथापि, मूल रसीद पर "रद्द/ ....रु. के सी एस टी की प्रतिपूर्ति की गई जैसा आवश्यक पृष्ठांकन करने के बाद इसे एकक को वापिस कर दिया जाएगा, इस पर जोन के प्राधिकृत अधिकारी के विधिवत हस्ताक्षर होंगे और इसकी एक फोटो प्रति संबंधित फाइल में रख ली जायेगी । मूल रसीद उपलब्ध न होने के मामले में और भुगतान बैंक द्वारा करने पर बीजक के तहत विशेष रूप से भुगतान को दर्शाने संबंधी बैंक से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । दी गई राशि और बीजक की राशि आपस में मेल खानी चाहिए ।

(घ) प्रतिपूर्ति ग फार्म के तहत सी एस टी के भुगतान तक ही सीमित होगी ।

(ङ) एकक को उन व्यक्तियों के नाम भी बताने होंगे जिन्हें ग फार्म पर हस्ताक्षर करने के लिए फर्म द्वारा प्राधिकृत किया गया है और इसके/इनके नमूना हस्ताक्षर(रों) की तीन प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी, जिसे एकक की संबद्ध फाइल में रखा जायेगा ।

(च) प्रतिपूर्ति तिमाही आधार पर की जायेगी। प्रतिपूर्ति के लिए ऐसे किसी दावेपर सामान्यतया विचार नहीं किया जायेगा जो उस तिमाही, जिसके लिए दावा है, की अवधि समाप्त होने से छः महीनों के भीतर दावा पेश नहीं किया जाता है । कुछ विशेष मामलों में आवेदन करने पर, विकास आयुक्त देरी से प्राप्त हुए आवेदनों पर इस बात से संतुष्ट होने पर कि देरी वास्तविक कारणों से हुई, विचार कर सकता है । एक वर्ष से अधिक विलम्ब वाले दावों को एकदम नामंजूर कर दिया जायेगा ।

(छ) किसी एक बीजक पर 25/–रु. से कम की राशि के लिए सी एस टी प्रतिपूर्ति के दावों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

(ज) सी एस टी की प्रतिपूर्ति के दावे के लिए संवितरण प्राधिकारी विकास आयुक्त देगा जो एस डी ए के अधीन आबंटित राशि से एकक का भुगतान देगा या सभी दावे भुगतान के पहले पूर्व लेखा-परीक्षा के अधीन हैं ।

अनुलग्नक-1

निर्यात अभिमुख युनिट/निर्यात संसाधन युनिट/फाल्टा व्यापार क्षेत्र की यूनिटों के बोन्डिड परिसरों में लाए गए सामान के लिए प्रपत्र "ग" के प्रति केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति के दावे के लिए आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम

2. पूरा डाक पता

3. (क) निर्यात अभिमुख यनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र स्कीम के तहत जारी अनुमोदन पत्र की सं. और तारीख

(ख) क्या अनुमोदन पत्र इस आवेदन की तारीख तक वैध है ?

4. पंजीकरण सं.
(जारी करने की तारीख सहित)
केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन बिक्री कर प्राधिकारियों द्वारा जारी :

5. यूनिटों में लाए गए सामान का ब्यौरा
(क) संभरक का नाम और पता
(राज्य का नाम जहां संभरक स्थित है सहित)
(ख) माल का विवरण
(ग) गुणवत्ता
(घ) मूल्य
(ङ) माल की खरीद की तारीख
(च) निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन यूनिट के सीमाशुल्क बोन्डिड परिसरों की प्राप्ति की तारीख
(छ) प्रपत्र "ग" के प्रति अदा किए गए केन्द्रीय बिक्री कर की कुल राशि
(ज) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा (1) के अधीन बिक्रीकर पंजीकरण सं. एवं संभरण की तारीख

6. दावित केन्द्रीय बिक्री कर की राशि

वचन और घोषणा

(क) मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर बताया गया विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है।

(ख) इस आवेदन पत्र में आने वाली खरीद के मद्दे केन्द्रीय बिक्रीकर के दावे के लिए न तो कोई आवेदन किया गया है और न ही भविष्य में किया जाएगा।

(ग) बिल की राशि प्राप्त कर लेने के प्रमाण स्वरूप आपूर्तिकर्त्ता द्वारा जारी की गई मूल रसीद (फोटो प्रति सहित), केन्द्रीय बिक्रीकर सहित, यूनिट द्वारा प्रस्तुत की गई मूल के सन्दर्भ में क्षेत्रीय प्रशासन के संबंधित अधिकारी द्वारा मिलान और अनुप्रमाणन किया जाएगा। तथापि, क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बकायदा हस्ताक्षरित "रद्द की गई और केन्द्रीय बिक्रीकर रु. .... प्रतिपूर्ति की गई जैसी आवश्यक पृष्ठांकन करने के बाद मूल रसीद यूनिट को लौटा दी जाएगी तथा इसकी फोटोप्रति फाइल में लगा दी जाएगी। यदि मूल रसीदें के उपलब्ध नहीं है तथा भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया है तो बैंक से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें यह दर्शाया गया हो कि भुगतान विशेषतः बीजक के मुद्दे किए गए हैं किया गया भुगतान और बीजक राशि का मिलान होना चाहिए।

(घ) प्रतिपूर्ति केवल ग प्रपत्र के मद्दे केन्द्रीय बिक्रीकर के किए गए भुगतान तक सीमित होगी।

(ङ) यदि यूनिट बन्द हो जाती है अथवा यूनिट को समय से पूर्व बन्द करने की अनुमति दी जाती है तो हम हमारी ई ओ यू/ई पी जेड यनिट हेतु दावित केन्द्रीय बिक्रीकर को वापस करने का वचन देते हैं।

(च) यदि कोई सूचना असत्य, गलत या भ्रामक पायी जाती है इस विश्वास पर हमारे विरुद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई के पूर्वाग्रह के साथ-साथ हमारे दावे को भी अस्वीकृत किया जा सकेगा। यदि जांच पड़ताल के परिणामस्वरूप यह पाया जाता है कि मुझे/हमें कोई अधिक भुगतान किया गया है तो उसे मेरी/हमारी फर्म द्वारा बाद में किए जाने वाले दावों में से समायोजित कर दिया जाएगा और यदि कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अधिक भुगतान की गई राशि को मेरे/हमारे द्वारा लौटा दिया जाएगा।

हस्ताक्षर :
नाम बड़े अक्षरों में :
पदनाम :
आवेदक का नाम :
फर्म :

परिशिष्ट-38-क

अनुलग्नक-2

निर्यात लाइसेंस प्रपत्र क

सार्वजनिक सूचना संख्या-68 में सूचीबद्ध मदों हेतु निर्यात-आयात नीति 92—97 के पैरा-159-भाग-2 (31) के तहत निर्यात लाइसेंसों को प्रदान करने हेतु आवेदन (प्रक्रिया पुस्तक 1992—97 के परिशिष्ट 43-ट पर पुनःउल्लिखित)।

टिप्पणी : (1) नीति का पैरा-123 और प्रक्रिया पुस्तक का पैरा 205 देखें।

(2) आवेदन भरने से पूर्व आवेदन के अंत में दिए सामान्य अनुदेशों को पढ़ें।

1. आयातक-निर्यात (आई ई) कोड संख्या :

2. आवेदक का नाम और पूरा डाक पता :

3. आवेदक के बैंकर का नाम और पता

4. फर्म की स्थापना का वर्ष :

5. (क) क्या आवेदक निर्यात की जाने वाली मद का विनिर्माता/उत्पादक है ? यदि नहीं, विनिर्माता/उत्पादक का नाम बताएं और पूरा पता, टेलीफोन नं. आदि लिखें।

(ख) आवेदक फर्म का प्रारूप (सामान्य अनुदेशों के पैरा 5 पर दी गई कोड संख्या द्वारा भरें)

(ग) आवेदक/फर्म का स्तर (निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन/सुपर स्टार व्यापार सदन/अन्य (निर्दिष्ट करें) :

6. सार्वजनिक सूचना संख्या-68, दिनांक 31 मार्च, 1995 के तहत मदों हेतु पहले आवेदित किए गए निर्यात लाइसेंसों के ब्यौरे :

क्रमांक	आवेदन की तारीख	निर्यात लाइसेंस की संख्या और तारीख (नीचे दी गई टिप्पणी देखें)*	निर्यात की गई मदें और मात्रा मूल्य	पोत लदान की तारीख (बी/एल प्रति संलग्न करें)	गंतव्य देश

*यदि लाइसेंस देने से मनाकर दिया गया तो "मनाकर दिया गया" लिखें। झूठा विवरण देने के परिणामस्वरूप मुकदमा दायर किया जाएगा।

7. यह आवेदन संबंधित है : (प्रपत्र ख भी देखें)

सार्वजनिक सूचना संख्या-68 में मद का क्रमांक	सार्वजनिक सूचना संख्या-68 में मद का नाम (सामान्य अनुदेशों में अनुदेश संख्या-7 के अनुसार तकनीकी विशिष्टताएं संलग्न करें)	मात्रा (सामान्य अनुदेशों में अनुदेश संख्या-6 देखें)	कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य अमेरिकन डालरों में

8. पोत लदान का पत्तन (दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता अथवा मद्रास केवल एक पत्तन का नाम लिखें) :

9. निर्यात का गंतव्य (देश) :

10. परेषिती का नाम, पूरा डाक पता : टेलीफोन, फैक्स आदि :

11. परेषिती की नागरिकता (यदि व्यक्ति हो) :

12. परेषिती के मुख्यालय का नाम, यदि कारपोरेट और उपर्युक्त प्रविष्टि (10) से भिन्न हो :

13. पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) संख्या समाप्ति की तारीख, परिषद् का नाम (वैध आर सी एम सी की प्रति संलग्न करें) :

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर और पदनाम

तारीख :

"आवेदक" की परिभाषा के लिए निर्यात और आयात नीति (31 मार्च, 1996 तक यथा संशोधित)का पैरा-7, क्रमांक (6) और क्रमांक (30) देखें ।

निर्यात लाइसेंस प्रपत्र ख

टिप्पणी : 1. प्रपत्र क के पृष्ठ-1 पर प्रविष्टि संख्या-7 पर प्रत्येक मद हेतु एक प्रपत्र ख अलग-अलग भरा जाना चाहिए ।

2. इस प्रपत्र की प्रत्येक प्रति फर्म के सी ई ओ, कम्पनी सचिव या निदेशक द्वारा अलग-अलग हस्ताक्षरित होनी चाहिए । यदि निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित हो तो, वह निदेशक, फर्म के निदेशक मंडल द्वारा ऐसा करने के लिए बाकायदा प्राधिकृत होना चाहिए ।

1. सार्वजनिक सूचना संख्या 68 के अनुसार मद संख्या और मद का नाम :

2. आयातक का खरीद आदेश संख्या और तारीख (प्रतिलिपि संलग्न करें) :

3. (1) मात्रा :

(2) प्रति यूनिट पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (अमेरिकन डालर) :

(3) कुल पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (अमेरिकन डालर) :

4. (क) अन्तिम उपभोक्ता का स्थापना-स्थल (देश) :

(ख) अन्तिम उत्पाद और/या अंतिम उद्देश्य जिसके लिए निर्यात की गई मद अंतिम उपभोक्ता द्वारा इस्तेमाल की जाएगी । अंतिम उपभोग प्रमाण-पत्र संलग्न करें । :

(ग) अंतिम-उपभोक्ता का नाम और पूरा पता (टेलीफोन, फैक्स संख्या आदि शामिल करें) :

(घ) क्या अंतिम उपभोक्ता गंतव्य देश की सरकार की हस्ती है :

(ङ) अंतिम-उपयोक्ता की विनिर्माण व्यवसाय/अन्य कार्य कलाप :

5. इस निर्यात से संबंधित वित्तीय सौदों को किन बैंकों के माध्यम से पूरा किया जाएगा। :

(क) गंतव्य देश में (पूरा पता लिखें) :

(ख) भारत में :

6. आवेदक के सभी विदेशी सहयोगियों के नाम और पते (भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकरण के अनुसार)। यदि कोई न हो तो लिखें कोई नहीं। :

7. जिस अवधि के दौरान मद को भारत से निर्यात किया जाना प्रस्तावित है उसे बताएं। :

8. क्या पुनः वैधीकरण अपेक्षित है ? :

(क) मांगा गया अवधि विस्तार :

(ख) उसके लिए कारण :

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर एवं पदनाम

तारीख:

निर्यात लाइसेंस प्रपत्र ग

प्रोफोर्मा

अंतिम उपयोग/अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण-पत्र

(हिदायतें पृष्ठ के अन्त में देखें)

मैं/हम.....——————————क/एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हम——————————घ/के विनिर्माण के लिए/प्रयोग के लिए हमारे खरीद आदेश सं.——————————दिनांक—————————— के विरुद्ध——————————ग/से आयात किए जाने वाले——————————ख/के अंतिम प्रयोक्ता है।

या

अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि यह प्रमाणित करने के लिए मुझे विधिवत् प्राधिकृत किया गया है कि————————————————क/उन मदों के अंतिम प्रयोक्ता हैं जिनके ब्यौरे इनके खरीद आदेश सं.——————दिनांक——————————में दिए गए हैं और——————————घ/के विनिर्माण के लिए/प्रयोग के लिए——————————ग/के उक्त मदों का आयात कर रहे है।

2. मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि संदर्भित खरीद आदेश में उल्लिखित मदों का प्रयोग खरीद आदेश में उल्लिखित प्रयोजन के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा और ऐसे प्रयोग को बदला नहीं जायेगा और न ही भारत सरकार की पूर्व अनुमति ङ/के बिना इन मदों को संशोधित या प्रतिवलित नहीं किया जायेगा।

3. अंतिम प्रयोक्ता न तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के जरिए भारत सरकार की जानकारी/अनुमति ङ/के बिना किसी अन्य पार्टी को——————————च/के भीतर या बाहर पुन. हस्तान्तरण करने/बेचने के लिए इन मदों की प्रतिकृतियां या नकल तैयार करेगा।

4. मैं/हम यह भी प्रमाणित करता/करते हूं/हैं कि इस प्रमाणपत्र में दिए गए सभी तथ्य मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक हैं और मैं/हम ऐसे किसी अतिरिक्त तथ्य से अवगत नहीं हूं/हैं जो इस प्रमाणपत्र से मेल नहीं खाते ।

स्थान:

तारीख :

अंतिम प्रयोक्ता के हस्ताक्षर/मोहर और सील सहित अंतिम प्रयोक्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षर

नाम : ---

पदनाम :---

फार्म भरने के लिए हिदायतें इस प्रकार मदें :–

(क) निर्यात लाइसेंस आवेदन के प्रपत्र ख में प्रविष्टि 4 (ग) के अनुसार अंतिम प्रयोक्ता का नाम।

(ख) प्रपत्र ख में 1 के अनुसार मदों की प्रविष्टियां ।

(ग) भारत में निर्यातक का नाम और पता ।

(घ) अन्तोत्पाद/अंतिम प्रयोक्ता का नाम ।

(ङ) विदेश व्यापार महानिदेशालय निर्यात लाइसेंस में शर्त लगायेगा/काटें नहीं ।

(च) गन्तव्य देश ।

निर्यात लाइसेंस प्रपत्र छ

घोषणा/वचन बद्धता

मैं/हम एतद्द्वारा विधिवत् घोषणा करता/करते हूं/हैं/वचन देता/देते हूं/हैं :—

(1) इस आवेदन और इसके संलग्नकों में दिए गए विवरण और वक्तव्य मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है ।

(2) इस आवेदन में दी गई कोई जानकारी यदि झूठी, गलत, पुरानी या भ्रामक पायी जाती है तो इस आवेदन के आधार पर दिए गए किसी भी लाइसेंस को रद्द या अप्रभावी बना दिया जायेगा और विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1992 या इसके तहत बनाये गए नियमों और आदेशों और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई को ध्यान में नहीं रखा जायेगा ।

(3) इस आवेदन में दी गई कोई जानकारी यदि गलत, झूठी, अवास्तविक पुरानी या भ्रामक पायी जाती है तो मुझे /हम पर कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है या कानून द्वारा निर्धारित या अन्य कोई अपेक्षित कार्रवाई की जा सकती है ।

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मुझे आवेदक की ओर प्रमाणित करने और इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

स्थान :–

तारीख :–

आवेदक* के हस्ताक्षर ---

स्पष्ट शब्दों में नाम ---

पदनाम ---

कार्यालय का पूरा पता ---

टेलीफोन नम्बर ---

पूरा आवासीय पता ——————————————

——————————————

——————————————

——————————————

टेलीफोन नम्बर ——————————————

*टिप्पणी : आवेदक वही होना चाहिए जिसने प्रपत्र "क" और प्रपत्र "ख" पर हस्ताक्षर किए है ।

आवेदकों हेतु सामान्य अनुदेश

1. इस आवेदन में चार प्रपत्रों क, ख, ग और घ का एक मिश्रित सैट है। प्रपत्र क, ख, ग और घ को फोटो कापी किया जा जा सकता है ।
2. किसी एक निर्यात परिषिती के लिए केवल एक आवेदन प्रपत्र (यानी चार प्रपत्रों क, ख, ग और घ का एक सैट प्रयोग) करें।
3. प्रपत्रों की सभी प्रविष्टियां टाइप की होनी चाहिए। भरने से पूर्व सभी प्रपत्रों को ध्यान से पढ़ें।
4. सभी प्रविष्टियां पूरी भरें। यदि किसी प्रविष्टि हेतु सूचना उपलब्ध न हो तो 'लागू नहीं' लिख दें। किसी पाठ को काटे नहीं। अपूर्ण आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।
5. प्रपत्र के पृष्ठ 1 पर प्रविष्टि संख्या 5 (ख) हेतु निम्नलिखित कोडों का प्रयोग करें :—
   1. सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी
   2. प्राइवेट लि० कम्पनी
   3. प्रोप्रायटरी फर्म।
   5. हिन्दू अविभाजित परिवार
   6. व्यक्तियों की संस्था/एसोसिएशन
   7. अन्य
6. पार्सलोंकी संख्या और प्रत्येक पार्सल में वस्तुओं की संख्या प्रपत्र – क के पृष्ठ 2 पर प्रविष्टि संख्या – 7 के सामने लिखें।
7. प्रपत्र – क के पृष्ठ – 2 के तुरन्त बाद तकनीकी विशिष्टताओं (प्रत्येक मद के लिए एक पृष्ठ से ज्यादा न हो को उसी क्रम में लिखें जैसा प्रपत्र – क की प्रविष्टि – 7 पर इन मदों को सूचीबद्ध किया गया हो)
8. पूर्णतः भरे फार्म की 15 प्रतियां निम्नलिखित को प्रस्तुत करें :—

   विदेश व्यापार महानिदेशालय
   उद्योग भवन
   नई दिल्ली – 110011

9. अपने पत्र शीर्ष पर इस घोषणा के साथ कि इस आवेदन में सभी प्रविष्टियां और इसके संलग्न की/की जांच करने के बाद उन्हें सही, पूर्ण और सामयिक पाया गया है, आवेदन भेज दें।
10. प्रपत्र में झूठी, गुमराह करने वाली या अवास्तविक प्रविष्टियां या उनका समर्थन करने वाले आंकड़ों के प्रस्तुत करने पर मुकदमा चलाया जाएगा।
11. आवेदक की लिए यह आवश्यक है कि वह इस आवेदन से संबंधित सभी रिकार्डों की प्रतियां आवेदन की तारीख से तीन वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए अपने पास रखे। यह रिकार्ड निर्यात लाइसेंस मना होने के बाद भी आवेदक द्वारा रखा जाए।
12. पूर्ण भरे आवेदक प्रपत्र से इस शीट को अलग कर लें।

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या. 82 ईटीसी (पीएन)/92-97

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1996

सं. 35/118/95-ई-2 :- निर्यात और आयात नीति, 1992-97 (संशोधित संस्करण : मार्च, 1996) के अध्याय-16 निर्यातों की निषेधात्मक सूची की मद संख्या-31क, भाग-2, पैरा-159 (लाइसेंसिंग के अध्यधीन अनुमेय निर्यात) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा ओजोन परत को समाप्त करने वाले पदार्थों के बारे में मांट्रियल प्रोटोकोल के अनुलग्नक क और ख में शामिल रसायनों को निम्नानुसार विनिर्दिष्ट करते हैं, जिनका निर्यात उक्त प्रोटोकोल के पक्षकार देश को इस बारे में जारी किए गए लाइसेंस के तहत अनुमेय होगा :—

अनुलग्नक – क

समूह 1 (क) सी एफ सी एल 3 (सी एफ सी – 11) ट्राइक्लोरो फ्लोओरो मिथेन।
(ख) सी एफ 2 सी एल 2 (सी एफ सी – 12) डाइक्लोरो डाइफ्लुओरो मिथेन।
(ग) सी2 एफ3 सीएल3 (सीएफसी – 113) 1, 1, 2 ट्राइक्लोरो – 1, 2, 2 ट्राइफलोरो इथेन।
(घ) सी2 एफ4 सीएल2 (सी एफ सी – 114) 1, 2 डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो इथेन।
(ङ) सी2 एफ5 सीएल (सीएफसी – 115) क्लोरो पेंटा फ्लोरो इथेन।

समूह 2 (च) सीएफ 2 बी आर सीएल (हेलोन – 1211) ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मिथेन।
(छ) सीएफ 3 बीआर (हेलोन – 1301) ब्रोमो ट्राइफ्लोरो मिथेन।
(ज) सी 2 एफ 4 बीआर 2 (हेलोन – 2402) डाइब्रोमो टेट्राफ्लोरो इथेन।

अनुलग्नक – ख

समूह 1 (झ) सीएफ 2 सीएल (सीएफसी – 13) क्लोरो ट्राइफ्लोरो मिथेन।
(ञ) सी 2 एफ सी एल 5 (सीएफ सी – 111) पेंटाक्लोरो फ्लोरो इथेन।
(ट) सी 2 एफ 2 सीएल 4 (सीएफ सी – 112) टेट्राक्लोरो डाइफ्लोरो इथेन।
(ठ) सी 3 एफ सीएल 7 (सीएफसी – 211) हेप्टाक्लोरो डाइफ्लोरो प्रोपेन।
(ड) सी 3 एफ 2 सीएल 6 (सीएफसी – 212) हेक्साक्लोरो डाइफ्लोरो प्रोपेन।
(ढ) सी 3 एफ 3 सीएल 5 (सीएफ सी – 213) पेंटाक्लोरो ट्राइक्लोरो प्रोपेन।
(ण) सी 3 एफ 5 सीएल 4 (सीएफसी – 214) टेट्राक्लोरो टेट्राफ्लोरो प्रोपेन।
(त) सी 3 एफ 5 सीएल 3 (सीएफसी – 215) ट्राईक्लोरो पेंटाफ्लोरो प्रोपेन।
(थ) सी 3 एफ 6 सीएल 2 (सीएफसी – 216) डाइक्लोरो हैक्साफ्लोरो प्रोपेन।
(द) सी 3 एफ 7 सीएल (सीएफसी – 217) क्लोरो हैप्टाफ्लोरो प्रोपेन।

समूह 2 (ध) सीसीएल 4 कार्बन टेट्राक्लोराइड टेट्राक्लोरो मिथेन।

समूह 3 (न) सीएच 3 सीएल 3 × 1, 1, 1, ट्राइक्लोरो इथेन (मिथाइल क्लोरोफार्म)
× यह फार्मूला 1, 1, 2 – ट्राइक्लोरो इथेन के संदर्भ में नहीं है।

3. मांट्रियल प्रोटोकोल के सदस्य देशों के अलावा अन्य देशों को निर्यात निषिद्ध है।

4. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

ह./-

श्यामल घोष, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 352|(PN)|92-97

New Delhi : the 25th March, 1996

F. No. PRU|HB|17|92-97.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 16 of the Export and Import Policy, 1992-97, as amended, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures (Volume I), 1992-97 as amended :—

CHAPTER I

1. The following shall be added at the end of paragraph 1

"Another compilation known as 'ITC (HS) Classification of Export and Import Items' has been notified which includes itemwise import and export policy based on ITC (HS) Classification. This compilation shall also remain in force until 31st March, 1997".

CHAPTER III

2. The definition of Designated Authority given in Paragraph 5(iv) shall be substituted by the following :

"Designated Authority" means an officer of the office of the Director General of Foreign Trade not below the rank of Deputy Director General of Foreign Trade for operating the Pass Book Scheme and Diamond Credit Book Scheme."

3. The definition of "Zonal SALC" given in Paragraph 5(viii) shall be deleted.

4. The definition of "Regional Advance Licensing Committee" as given below shall be added in Paragraph 5 after the existing entry (ix) as a net entry '(x)'.

"RALC" means the Regional Advance Licensing Committee functioning at the Office of the Regional Licensing Authorities headed by the Joint Director General of Foreign Trade.

CHAPTER IV

5. The following new Paragraph shall be added after the existing Paragraph 12 :

Surrender of I.E. Code Number

12-A. If an I.E. Code No. holder does not wish to operate the allotted Code No. he may surrender the same by informing the Regional Licensing Authority which had granted the said Code Number.

On receipt of such intimation, the Regional Licensing Authority shall immediately inform all the Customs|Licensing authorities that the said I.E. Code No. has become inoperative.

6. Paragraph 17(ii) shall be substituted by the following :

"The Department of Industrial Policy and Promotion, Technical Supports Wing (TSW), for organised sector units registered under it, except for import of computers and computer based systems."

7. Paragraph 21 shall be substituted by the following :

"Duplicate copies of Export-Import Licences|Customs Clearance Permits|Pass Book|Diamond Credit Book

Where a licence including Pass Book and Diamond Credit Book is lost or misplaced, an application for grant of a duplicate copy thereof may be made to the licensing authority or the designated authority in the form given in Appendix VI. On being satisfied about the merits of the application, the concerned authority shall issue a duplicate copy of the licence|Pass Book|Diamond Credit Book, as the case may be, after issuing an order for cancellation of the original and informing the Customs authority where the licence or Pass Book|Diamond Credit Book was registered. However, duplicate copy of freely transferable import licences shall not be issued."

CHAPTER V

8. The paragraph 49 shall be substituted by the following :—

"Although the import licences granted under paragraphs 44 and 45 above are freely transferable within the hotel, tourism or travel industry, the goods imported against own or acquired licences shall be subject to actual user condition and shall not be transferred for a period of 10 years from the date of their import except with the permission of the Director General of Foreign Trade".

9. At the end of Paragraph 66, the following words and figure shall be deleted.

"by 31st May of the licensing year to which the application pertains"

10. Paragraph 92 shall be substituted by the following :—

"Notwithstanding anything contained in Appendix XXXV, import of crude drugs required for making Ayurvedic, Unani or any other system of medicine as listed in Appendix XLVIII may be made without a licence by the manufacturers of the concerned Ayurvedic, Unani or any other system of medicine holding a valid manufacturing licence under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, subject to Actual user condition."

CHAPTER VI

11. The following new paragraph 100 B shall be added at the end of existing paragraph 100 A :

100 B. "Notwithstanding the provisions contained in paragraph 19 of the Hand Book of Procedures (Vol.1) the EPCG licence shall be valid for the purpose of import of spares during the period allowed for fulfilment of the export obligation under paragraph 38 of the Policy.

12. The following shall be substituted in place of existing paragraph 102 :—

"Application upto Rs. 1 Crore under this scheme shall be considered by a committee headed by the Joint Director General of Foreign Trade in accordance with the jurisdiction indicated in Appendix XIX. Applications exceeding this limit but upto Rs. 5 Crore shall be considered by the Zonal Licensing Committees headed by the Joint Director General of Foreign Trade as per the jurisdiction given in the above Appendix. Applications exceeding Rs. 5 Crore under this scheme shall be considered by the Committee headed by the Director General of Foreign Trade. All applications filed under the EPCG scheme for CIF value of Rs. 20 crores and above shall be considered by the Headquarters Committee of EPCG before they are submitted to the Committee of Secretaries.

All Regional Licensing Authorities|Zonal Licensing Authorities will send periodical statements regarding issuance of EPCG licences|monitoring reports under the scheme to Export Obligation Cell-II of Directorate General of Foreign Trade"

13. The following shall be added at the end of paragraph 103 as a new Sub-paragraph :

"However, the Committee of Secretaries| EPCG Committee may in appropriate cases require a Bank Guarantee for a value higher than the value prescribed by the Customs authorites."

14. The following shall be added as paragraph 105 (e) after the existing paragraph 105 (d) :

'105(e) : The licence holder shall ensure that at the time of export the EPCG Licence No. and date are inscribed on all the shipping bills which would be relied upon by him to establish fulfilment of export obligation'.

15. The second sentence in paragraph 105A shall be substituted by the following :

"In such a case, the Bill of Entry in the case of imported capital goods or the commercial invoice in the case of indigenously procured capital goods shall be signed jointly by the EPCG licence holder and the leasing company at the time of import|local supply respectively".

CHAPTER VII

16. The following shall be substituted in place of existing paragraph 108(a)(ii) :

"(ii) Export Order|Letter of Credit except in the case of exports by Super Star Trading House|Star Trading House|Trading House|Export House|Public Sector Undertaking on consignment basis to such warehouses abroad as may be specified from time to time ;"

17. The following shall be substituted in place of existing paragraph 108 (c) :

"Where the norms have been published and the application does not require the approval of RALC|ZALC|ALC, an application in Appendix XVII alongwith a copy of the Annexure and other documents shall be submitted to the licensing authority concerned."

18. The first three sentences of paragraph 108(d) shall be substituted by the following :

"In cases which are required to be placed before RALC|ZALC|ALC, an application in Appendix XVII alongwith 25 copies of the Annexure shall be furnished in accordance with the jurisdiction given in Appendix XIX. In such cases, a copy of the application may also be endorsed to the concerned licensing authority. RALC|ZALC|ALC shall function as recommendatory authorities."

19. The following shall be substituted in place of existing paragraph 198 (f) :

"The licensing authority may grant a maximum of three Quantity Based duty free licences where standard input-output norms are not fixed based on the recommendation of RALC|ZALC|ALC. While granting the second licence, it has to be ensured that the applicant exporter has made an application to the Headquarters Special Advance Licensing Committee as given in Appendix XVI of this Hand Book for standardisation of the norms. In addition, one copy of such application shall be filed with the Licensing Authority concerned and another copy shall be filed with the RALC|ZALC where RALC|ZALC is located at a place other than the place of Licensing Authority".

20. The first sentence of paragraph 109 shall be substituted by the following :

"The financial powers of the licensing authorities, RALC,ZALC and ALC are given in the table below :"

21. In the table given in paragraph 109, under the heading 'where no norms fixed', the following shall be substituted :

"CIF value upto Rs. 50 lakhs on the recommendation on RALC	"CIF value exceeding Rs. 50 lakhs and upto Rs. 3 Crores on the recommendation of ZALC	"CIF value exceeding Rs. 3 Crores on the recommendation of ALC
Regional Licensing Authority	Regional Licensing Authority	Licensing Authority at HQrs.
N.A.	N.A.	N.A.

22. The following shall be substituted in place of existing paragraph 109A :

"For standardisation of norms, all applications duly filled in with complete data shall be made to the Headquarters Special Advance Licensing Committee in the form given in Appendix XVI of the Hand Book of Procedures (Vol. 1). The director General of Foreign Trade may notify such norms as recommended by Headquarters SALC.

Till such norms are notified, the Licensing Authority may grant licences on repeat basis provided it is satisfied that the applicant has moved the Headquarters SALC for standardisation of norms and has filed the application complete in all respects for this purpose"

23. The following shall be added at the end of paragraph 118 as new sub-paragraph :

"Notwithstanding anything contained above, the licence holder shall also to furnish BG|LUT to the Licensing Authority before sourcing the material from the nominated agencies or indigenous supplier under Advance Intermediate Licence|Advance Release Order|Back to Back Inland Letter of Credit. The Super Star Trading House|Star Trading House|Trading House|Export House|Public Sector Undertaking shall be required to furnish Legal Undertaking in the form given in Appendix XVII. The other exporters shall be required to furnish Bond Supported by Bank Guarantee to the extent of 25 per cent of the CIF value of the items which they intend to procure indigenously in lieu of direct import".

24. The last sentence of Note (b) appearing in paragraph 118 shall be substituted as under :

"An endorsement to this effect shall also be made by the licensing authority on the DEEC (Imports) with a further stipulation that the same may be retained by the Customs Authority immediately after imports are completed."

25. The following shall be substituted in place of paragraph 120 :

"The licence granted under this scheme shall be subject to the Actual User condition till redemption of BG|LUT. The licence holder is free to have the material processed through any other manufacturer including a jobber. However, the licence holder under this scheme shall be solely responsible for the imported items and fulfilment of export obligation. If the applicant desires to have the name of any manufacturer or jobber added to the licence, he may apply for such an endorsement. However, such endorsement shall be mandatory where prior import before export is a condition of the Advance Licence and the licence holder desires to have the material proceessed through any other manufacturer or jobber. Upon such endorsement made by the licensing authority, they shall all be regarded as co-licensees and the obligation of the licence holder shall become the joint and several obligation of the co-licensees. Any one of the co-licensees may import the goods in his name or in the joint names. The BG|LUT shall also be furnished in their joint names".

26. The following shall be added in the list of Airports and ICDs as given in the Note of paragraph 122 :

"Airports : Coimbatore Aircargo Complex ICDs : Pimpri (Pune), Kanpur and Pitampur (Indore)"

27. The following shall be substituted in place of existing paragraph 123 :

Enhancement|reduction in the value of Licence :

"123(i) In respect of a quantity based licence the licensing authority concerned (as per their financial powers) may consider a request for enhancement|reduction in the cif value of the licence provided the prescribed fob value of obligation is also enhanced|reduced on pro-rata basis and there is no change in the input-output norms and the Policy in accordance with which the licence was issued.

(ii) The licensing authority concerned (as per their financial powers) may also consider the request for enhancement|reduction in cif value, quantity of inputs, fob value of export obligation and quantity of exports on pro-rata basis of a quantity based licence provided there is no change in the input-output, value addition norms and the Policy in accordance with which the licence was issued".

28. The following shall be substituted in place of paragraph 126 (i) :

"Bank Certificate of exports in the form given at Appendix (XXIV or Payment Certificate from the Project Authority in the form given in the Appendix XXXVI. The exports on consignment basis to specified warehouses set up abroad shall be taken into account towards fulfilment of export obligation only on realisation of export proceeds. In the case of Advance Intermediate Licences and Special Imprest Licences for supplies to the EPZs|EOUs|EHTPs|STPs documentary evidence from the bank substantiating the realisation of proceeds from the duty free licence holder or EOUs|EPZs|EHTPs|STPs as the case may be through the normal banking channel shall be required".

29. The Sub-paragraph following paragraph 126 (iii) (b) shall be substituted as follows :

"After redemption of LUT, the DEEC (both for imports and exports) shall be sent to the concerned Customs authorities for their record and further appropriate action. In case same imports are yet to be completed, the DEEC (Import) may be returned to the licence holder with a specific endorsement that the same may be retained by the Customs authority concerned immediately after the imports are completed."

30. The following shall be substituted in place of existing paragraph 127 (iv) :

"Upon endorsement of transferability, issue of duplicate licence, enhancement in the cif value or amendments including revalidation shall not be allowed".

31. The following shall be added after paragraph 128 (A) (iv) as paragraph 128 A(v) :—

(v) "In case an exporter is unable to complete the export obligation underaken in full and he has not made any import under the licence, the licence holder will have an option to get the licence cancelled and apply for drawback after obtaining permission from Customs authorities for conversion of white|green shipping bills to Drawback Shipping Bill".

32. The following shall be substituted in place of existing paragraph 128 B(ii) :

"In case an exporter is unable to complete the export obligation undertaken in full and he has not made any import under the licence, the licence shall be cancelled and the exporter will be entitled to apply for drawback after obtaining the permission from the Customs authorities for conversion of white|green shipping bills to Drawback Shipping bills".

However, if the shortfall in terms of quantity or value or both is not more than 15 per cent of the total export obligation imposed, a request for pro-rata reduction in terms of quantity and|or value may be considered by the Regional Licensing Authority for the purpose of regularisation without converting the value based advance licence into quantity based advance licence"

33. The following shall be added as paragraph 130A after the existing paragraph 130 :

Exemption from Procedure

"130.A. Any request for relaxation of procedure relating to the scheme may be made in terms of paragraph 21 of the Policy to the Director General of Foreign Trade who shall consult the Advance Licensing Committee and, after taking into account the recommendations of the Advance Licensing Committee, the Director General of Foreign Trade may pass such orders or grant such relaxation as he may deem fit and proper and may impose such conditions as may be considered necessary."

34. The following shall be substituted in place of existing paragraph 132 :

"An application in the form given in Appendix XXIII may be filed with the regional licensing authority concerned within six months following the month during which the export proceeds are realised. In cases where part payment has been realised, the application for Replenishment licence may be made within six months following the month during which part payment was realised. Provided that not more than two such applications may be made for each consignment. Provided further that the first such application shall be made only after 90 per cent of the proceeds relating to the said consignment is realised. However, in case where payment is received in advance and exports take place subsequently, the application for Replenishment licence may be filed within 6 months following the month during which the exports are made. Applications received after the prescribed time limit shall not be considered. The application shall be accompanied by (i) Bank Certificate of Export and Realisation in the form as given in Appendix XXIV; (ii) Customs attested copy of invoice. The rate of entitlement will be with reference to date of exports.

The procedure laid down in sub-paragraph (1) to (4) of paragraph 246 of the Hand Book of Procedures (Vol. 1) regarding issuance of split-up licences shall apply mutatis-mutandis to Replenishment licences issued under this Chapter."

35. Before the last sub-paragraph of Paragraph 132 B, the following new sub-paragraph shall be added.

"While closing the Diamond Credit Book, the exporter shall pay the appropriate application fee to the extent of credit availed during the validity of the Diamond Credit Book in accordance with Appendix II".

36. The following new paragraph 138 B shall be added after the existing paragraph 138 A.

138 B : "The documents in support of fulfilment of export obligation shall be filed with the licensing authority within a period of one month from the date of expiry of the period of export obligation."

37. Paragraph 144 shall be deleted.

38. The following shall be added as paragraph 150(18) after the existing paragraph 150 (1) :

"Exports shall be allowed only by air freight and through Custom Houses at Bombay, Calcutta, Madras, Jaipur, Bangalore and Kochi."

39. The following shall be added as paragraph 152 (7) after the existing paragraph 152 (6) :

"Exports shall be allowed by airfreight and Foreign Post Office through the Custom Houses at Bombay, Calcutta, Madras, Delhi, Jaipur, Bangalore, and Kochi."

40. The following shall be added as paragraph 154 (17) after the existing paragraph 154 (6) :

"Scrapdust|sweepings of gold may be sent to the Government of India Mint from the Units in the EPZ|EOU and returned to the EPZ|EOU in Standard Gold bars in accordance with the procedure prescribed by the Customs Authority."

CHAPTER IX

41. The following sentence shall be added at the end of Paragraph 188 :—

"The procedure to be followed and the form of application for reimbursement of Central Sales Tax are given in Appendix XXXIV—C" [Appendix XXXIV—C is annexed (Annexed I) to this Public Notice].

CHAPTER X

42. Paragraph 196 shall be substituted by the following :

"Under Paragraph 121 of the Policy, certain categories of supplies are classified as Deemed Exports. In case of categories under paragraph 121(c), (e), (f) (h) and (i) benefits under paragraph 122 including Special Imprest Licences are available. In category (a) of Paragraph 121, Advance Release Order|Back to Back Inland Letter of Credit|Advance Intermediate Licence as given in Paragraphs 55, 64 and 64A of the Policy will be given the benefits of Deemed Exports. Based on Advance Release Orders|Back to Back Inland Letter of Credits issued on the indigenous supplier, benefits under Paragraph 122(b), (c) & (d) will be given to the indigenous supplier. However, in respect of Advance Intermediate Licence only the benefits of SIL under Paragraph 122(d) will be given to the indigenous supplier. Supply of Capital goods to holders of Licences under the Export Promotion Capital Goods Scheme as given in Paragraph 121(d) will be entitled to benefits only under Paragraphs 122(c) and (d). To establish the fact of indigenous supplies, Advance Release Order (ARO)|Back to Back Inland Letter of Credit| Advance Intermediate Licence shall be issued for said categories by suitably amending or modifying the relevant Import Licence by the Licensing Authority or by the concerned Bank as the case may be. In all cases supplies shall be made directly to the designated projects|agencies|units|duty free licence holders".

42A. The "marginal heading" of Paragraph 197 shall be substituted by the following :—

"Procedure for issue of Advance Release Order|Back to Back Inland Letter of Credit."

43. The existinug Paragraph 197 shall be renumbered as "197 (i)".

44. The following shall be added as new sub-paragraph "197 (ii)" :—

"(ii) The procedure for issue of Back to Back Inland Letter of Credit is as under :

(a) A duty free Licence holder (including a transferee) may approach a Bank for opening an Inland Letter of Credit in favour of an indigenous supplier. Before opening the Letter of Credit the Bank will ensure that the necessary LUT.BG has been executed by the Duty Free Licence holder (other than the transferee) and an endoresement is available to that effect on the licence.

(b) This facility of Back to Back LC will be available only in cases where the total quantity in respect of one or more items appearing on the licence will be sourced indigenously by the holder of the licence.

(c) On receipt of the request, the concerned Bank will make the licence invalid for direct import of of the total quantity of relevant item or items alongwith the value earmarked for the purpose and make the necessary endorsement as provided in Paragraph 116 A of this Hand Book.

(d) This facility will be available for the purpose of opening the Letter of Credit in one Bank and one branch in respect of any one item of import under the licence but the whole quantity and value of the items shall be operated from the same branch of the bank. However, for any other item in the same licence, the licence holder may open a separate Letter of Credit in any other branch or bank subject to the condition that each of the items shall be operated to the full quantity and the value in the branch of the bank. A licence holder may also open the Letter of Credit instalments as per his convenience subject to the condition that the licence holder shall source the full quantity and value of an item in one branch of a bank. In terms of Paragraph 116 A of this Hand Book, the licence shall be invalidated by the bank for direct import only in respect of the full quantity and value of the item being sourced indigenously.

(e) The original Letter of Credit may be retained by the bank for negotiation and only the non-negotiable copy of the Letter of Credit may be given to the indigenous supplier. The indigenous supplier may submit only the non-negotiable copy of the Letter of Credit while filing his claim for deemed exports."

45. The following shall be added at the end of sub-Paragraph 202A (1)(a) :—

"In respect of such supplies to EHTP|STP units, the application shall be made to the concerned regional licensing authority."

46. Paragraph 202 A (1) (b) (iii) shall be substituted by the following :

"(iii) A copy of ARO|Back to Back Inland Letter of Credit|Letter of Authority issued by the concerned Development Commissioner with the endorsement that the supplies have been received."

CHAPTER XI

47. The last sentence of paragraph 05 shall be substituted by the following :

"A special High Powered Committee shall consider applicationus for the export of dual purpose chemicals and for special materials, equipment and technologies as specified in Public Notice No. 68 dated 31-3-95, as amended, for which additional information as specified in Appendix XXXVIII and Appendix XXXVIIIA respectively shall be provided." (Appendix XXXVIIIA annexed as Annexure II to this Public Notice).

48. The first sentence of Paragraph 207 shall be substituted by the following :—

"An application for the export of samples or exhibits exceeding ceiling limits, as specified in Public

Notice No. 15 dated 31-3-93, may be made to the Director General of Foreign Trade who may consider the application on merits and issue the licence."

49. The following amendments shall be made in Paragraph 209B :—

(a) At the end of Paragraph 209 B (ii) the following shall be added :—

"(iii) Bank Certificate of Exports as given in Appendix XXIV.

(iv) Attested copy of RCMC;"

(b) The last sentence of Paragraph 209 B shall be substituted by the following :

"However, in such cases the licences will be allowed to be endorsed only for import of the following items ":—

(i) Cathode ray tubes, namely, of 20″ and 21″ size colour T.V. picture tubes, sub-assembly thereof and assembly containing colour T.V. picture tube except 21″ Flat and Full Square (F and FST) colour T.V. picture tubes and sub-assembly thereof."

(ii) Compuer systems, including personal computers, below a CIF value of Rs. 1.50 lakhs or keyboards or monitors, each with a CIF value below Rs. 7,500. For this purpose, a computer system will consist of a single CPU including one keyboard and monitor and inbuilt peripherals, but excluding any add on peripherals; and

(iii) Populated, loaded or stuffed printed circuit boards except Electronic circuit Boards (ECBs) used in quartz analogue watches".

CHAPTER XIV

50. The paragraph 226(a) shall be substituted by the following :—

"In accordance with the provisions of paragraph 153 of the Policy the manufacturers who have acquired the quality status of ISO 9000 (series) or IS/ISO 9000 (series) shall be eligible for the grant of Special Import Licence. The entitlement shall be calculated at the rate of 2 per cent of the FOB value of exports (but not including deemed exports) of products made with the aforesaid quality certification during the preceding licensing year. Manufacturers/processors who have acquired other similar internationally recognised certification of quality notified by the Central Government in accordance with the provisions of paragraph 153 of the Policy shall also be eligible for the grant of Special Import Licence. The entitlement shall be at the rate specified in the said notification which shall not exceed 2 per cent of the FOB value of exports (but not including deemed exports) made with the above said quality certification during the preceding licensing year."

CHAPTER XV

51. The second sub-paragraph of Paragraph 231 shall be substituted by the following :—

"However, on the duty free licences issued for exports to ACU countries, export obligation shall be denominated and discharged in ACU dollars. The export obligation against Advance Intermediate Licence and Special Imprest Licence where supplies are to be made within the country shall be denominated in Indian Rupees and export obligation shall be discharged in terms of Indian Rupees with reference to the cif value in Indian Rupees indicated on the licence irrespective of the actual value of imports in Indian Rupees."

52. The figure and sign "10%" appearing in the third sentence of Paragraph 233 shall be substituted by the figure and sign "20%".

53. The following shall be added at the end of Paragraph 258 as "(h) and (i)" :—

"(h) Special Import Licences (freely transferable)	7 days
(i) Fixation of Standard Input-Output norms.	60 days

APPENDIX II

54. The existing entry at Sr. No. 4 of Appendix II shall be substituted by the following :—

"Application for grant of duplicate licence including Pass Book and Diamond Credit Book."

APPENDIX VI

55. The signs and words 'Pass Book/Diamond Credit Book' shall be added after the word 'licence' wherever appearing in the Appendix VI

APPENDIX XI-A

56. The following new names shall be added in the Appendix XI-A after the existing entry No. 20 :—

"21. M/s. Metallurgical and Engineering Consultants (India) Ltd.,
Ranchi : 834002.
Bihar,
India.
Tel : 0651-501002/5011216
Tlx : 0625-262-MECON IN
Fax : (91)-651-502214/502189

22. M/s. Shin Nihon Kentei Kyokai,
Keikyu No. 2 Building,
Takanawa 3-Chrome,
Minato-ku,
Tokyo 18,
Japan.
Tlx : 2423486KENTEI J
Fax : 81-3-3449-2814

23. M/s. Japan Quality Assurance Organisation,
(Nihon Hinshitsu Hohso Kiko),
1-9-15, Akasaka, Minato-ku,
Tokyo 107.
Japan.
Tel : +81-3-3583-9001
Fax : +81-3-3583-9002

24. M/s. Nippon Kaiji Kentai,
Kyokai 9-7-1 Chome,
Hatchobori, Chuo-ku,
Tokyo,
Japan.

The name of 'Ms. Lloyd's Register Industrial Services" alongwith the address appearing at Sr. No. 20 of Appendix XIA shall be deleted.

APPENDIX XV

57. The following shall be substituted as certification by Chartered Accountant/Cost and Works Accountant in place of the existing certification as appearing in Appendix XV —Annexure (ii) :

"It is certified that we have verified the Accounts Books of the above exporter and the particulars given above in respect of export both physical and deemed, are correct. It is also certified that all the shipping bills verified by me/us contained the EPCG Licence No. and date as given at Sr. No. (b) above."

APPENDIX XVII-C

58. 1. The words 'provided the items are not in the Negative List of Imports or Sensitive Items as applicable under the Duty Exemption Scheme of' appearing in paragraph 2 of the first page of Pass Book shall be deleted.

2. The words 'and as provided in' shall be added before 'the Exim Policy/Procedures' as appearing in paragraph 2 of the first page of the Pass Book.

In 'INSTRUCTIONS FOR OPERATING PASS BOOK' the following amendments shall be incorporated :

(a) The expression 'Part A', 'Part B', 'Part C' and 'Part D' wherever appearing shall be amended to read as 'Part II(A)', 'Part II(B)', 'Part II(C)' and 'Part II(D)' respectively.

(b) In paragraph 4 'Column Nos. 10, 11 and 12' shall be amended to read as 'Column Nos. 11, 12 and 13'.

(c) In Paragraph 6, the third sentence shall be substituted by the following :

'For debit entries the exporters should furnish statement in proforma as per Part II(C) in Appendix XVII-C (as amended) alongwith bill of entries duly endorsed by the customs authorities in column Nos. 11 to 16 after verification of column Nos. 1 to 10.'

(d) The column No. 9 of Part II(B) shall be amended to read as 'RATE OF BASIC CUSTOMS DUTY'.

(e) In Part II(D), in column No. (1), the words and figures 'col. 9' shall be amended to read as 'col. 13'.

(f) In Part II(D), in column No. (2), the words and figures 'col. 8' shall be amended to read as 'col. 13'.

APPENDIX XVIII

59. In Appendix XVIII, the opening paragraph of the Certificate shall be substituted as follows :

"I————————(Name and designation) is duly authorised to issue the Project Authority Certificate. I hereby certify that M/s————————have been awarded a contract for supply of goods of value, quantity and description mentioned below for total value of Rs.———— ———————— (in words————————) against purchase order No. ————————dated ————"

60. The following shall be added as sub-paragraph to below the Project Authority Certificate as appearing in Appendix XVIII :

"However, in the case of supplies to be made to the EOUs/EPZs/EHTPs/STPs the Certificate shall be signed by the authorised signatory of the EOUs/EPZs/EHTPs/STPs."

61. In Appendix XVIII, the remarks given after paragraph 2 "*Relevant only for contract at Para 1(b), (c) and (e)' shall be substituted as follows :

'*Relevant only for contract at para 1(a), (b) and (d).'

62. The following shall be added after the existing Sr. No. (4) in note to Appendix XVIII :

'(5) In the case of supply to EOU/EPZ Unit, the Certificate shall be signed by the authorised signatory of the Unit.'

APPENDIX XXII

63. In Appendix XXII, Sr. No. 9 shall be substituted by the following:

"9. Whether any:

adjudication/enforcement action has been initiated by way of Show cause Notice, foreiture order, or demand for making payments etc. by any agency of the Government. If so, the name of the agency and the nature of the action taken may be given;"

64. The Note 2 as appearing in Appendix XXIV shall be substituted by the following:

APPENDIX XXIV

64. "2. F.O.B. value actually realised and date of realisation of export proceeds are to be given only in case of export made under Chapter VIII of the EXIM Policy/Handbook of Procedure. This shall also be required under Chapter VII of the Policy/Procedures where exports are made on consignment basis to Warehouses set up abroad"

APPENDIX XXV-A

66. The following shall form the reverse of Part II (c) of the Diamond Credit Book:

TO BE FILLED IN BY THE BANKER

Date of Transaction	Particulars of Transaction	Rupees equivalent of L/c opened or of Bills paid not under L/C

Rupee equivalent of actual remittance	Bank' stamp and signature

APPENDIX XXXV

67. The existing title of Appendix XXXV and the list [of items appearing therein shall be substituted by the following:—

"SIL ITEMS

Items permissible for Import against freely transferable Special Import Licence (SIL) issued under Paragraphs 108, 122, 14? and 153 of the Export and Import Policy, 1992—97 read with the relevant Chapters of the Handbook Procedures, (Vol. 1) shall be as stated in Columns 3 to 5 of the Book titled "ITC (HS) Classifications of Export and Import Items" published and notified by the Director General of Foreign Trade (DGFT) as amended from time to time".

APPENDIX XLIIA

68. The following new entry shall be added after the existing entry No. 28.

29.	The Powerloom Development & Export Promotion Council (PDEXCIL)	Cecil Court 'B' Wing, 4th Floor, Mahakavi Bhushan Marg, Behind Regal, Colaba. Mumbai-400039 Tel—202 7221

APPENDIX XLIII-G.

69. The category of importers appearing against entry No. (g) of Public Notice 274 (PN)/92—97, dated 23-2-1995 given in Appendix XLIII (G) shall be substituted by the following :—

"(g) Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy (IGRUA) and such other Flying Clubs/Academies recognised by the Ministry of Civil Aviation, Government of India".

APPENDIX XLIII-H

70. Paragraphs 2 and 3 of Appendix XLIII-H shall be substituted by the following :—

"2. The Director General of Foreign Trade hereby prohibits the export of Plants, Plant portions and their derivatives and extracts obtained from the wild as under :

1. Aconitum species.
2. Attropa species.
3. Aristolochia species.
4. Angiopteris species.
5. Arundinaria Jaunsarensia.
6. Balanophora species.
7. Colchium luteum (Hirantutya).
8. Commiphora whightii.
9. Coptis species.
10. Drosera species.
11. Gentiana kurroo (Kuru, Kutki).
12. Gloriosa superba.
13. Gnetum species.
14. Iphignia indica.
15. Meconopsis betonicifolia.
16. Nardostachys species (Jatamansi).
17. Osmunda species.
18. Rhododendron species.
19. Physochlaina praealta (Bajarbang).
20. Praltia serpumlia.
21. Rheum emodi (Dolu).
22. Berberis aristata (Indian barberry Rasvat).
23. Acorus species.
24. Artemisia species.
25. Coscinium fenestratum (Calumba wood).
26. Costus speciosas (Keu, Kust).
27. Didymocarpus pedicellata.
28. Dolomiaea pedicellata.
29. Ephedra species.
30. Gynocardia odorata (Chaulmogri).
31. Hydnocarpus species.
32. Hyoscymus niger (Broseword).
33. Strychnos potatorum (Nirmali).
34. Swertia chirata (Charayatah).
35. Urginea species.
36. Beddomes cycad (Cycas beddomei).
37. Blue vanda (Vandacoerulea).
38. Kuth (Saussurea lappa).
39. Ladies slipper orchid (Paphiopedilium species).
40. Pitcher plant (Nepenthes khasiana).
41. Red vanda (Renanthera imschootiana).
42. Rauvolifia serpentina (Sarpagandha).
43. Ceropegia species.
44. Frerea indica (Shindal Mankundi).
45. Araucaria araucana (Monkey-puzzle tree).
46. Podophyllum hexandurm (emodi) (Indian Podophyllum).
47. Cactaces species (Cactus).
48. Cyatheaceae species (Tree Ferns).
49. Cycadacea species (Cycads).
50. Dioscorea deltoidea (Elephant's foot).
51. Euphorbia species (Euphorbias).
52. Aloe species (Aloes).
53. Orchidaceae species (Orchids).
54. Pterocarpus santalinus (Red Sanders).
55. Taxus wallichiana (Common Yew or Birmi leaves).
56. Aquilaria malaccensis (Agarwood).

3. Plants and plant portions, derivatives and extracts (including value added herbal formulations) of the cultivated varieties of the species above (excluding serial no. 54) will be allowed for export subject to production of a Certificate of Cultivation from Regional Deputy Director (Wildlife), or Chief Conservator of Forests or Divisional Forest Officers of the State concerned from where these plants and plant portions have been procured. However in respect of cultivated varieties of the species covered by Appendix I (S. No. 36 to 41 of Paragraph 2 above) and Appendix II (S. No. 42 to 56 of Paragraph 2 above) of CITES, a CITES Permit for export will also be required.

4. Exports allowed only through six major ports, viz. Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi, Madras and Tuticorin.

Consequently the existing Paragraph 3 in PN 47 dated 30-3-1994 shall be renumbered as 5."

APPENDIX XLIII-I

71. The entry appearing at Sl. No. 5 of Annexure to PN 15 dated 31-3-93 in Appendix XLIII-I shall be deleted.

72. The item description appearing under Column 2 at Sl. No. 26 of Annexure to PN 15 dated 31-3-93 in Appendix XLIII-I shall be amended as :

"26. Seeds of all trees (excluding seeds of all forestry species), hedges, ornamental plants and flowers and vegetable seeds other than onion seeds."

There is no change in the conditions appearing under Column 3 of the said entry.

73. The entry appearing at Sl. No. 36 of Annexure to PN 15 dated 31-3-93 in Appendix XLIII-I shall be substituted by the following :

"36. Plans and plant portions obtained from the wild and their cultivated varieties, not covered under PN 47 dated 30-3-94 as amended , except for the extracts and derivatives, including value added herbal formulations, of such plants, for which these conditions shall not apply.	(i) Export of plants and plant portions obtained from the wild will be allowed on production of a Legal Procurement Certificate (LPC) from Regional Deputy Director (Wildlife), or Chief Conservator of Forests or Divisional Forest Officers of the State concerned from where these plants and plant portions have been procured. (ii) The export of plants and plant portions of the cultivated varieties will be allowed subject to production of a certificate of cultivation from the above authorised officers. (iii) Exports allowed only through six major ports viz., Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi, Madras or Tuticorin."

APPENDIX XLIII-L

74. A new Paragraph 3 shall be added in Appendix XLIII-L as under :

"3. The export of items as specified above shall be allowed only from the ports of Delhi, Bombay, Calcutta and Madras.

Consequently the existing

Para 3 in Appendix XLIII-L shall be renumbered as 4."

APPENDIX XLIII-M

75. A New Appendix XLIII-M reproducing the Public Notice No. 82—ETC(PN)/92-97 dated 25th March, 1996, specifying the Chemicals included in Annexures A and B to the Montreal Protocol on substances that deplete the Ozone layer, shall be added. [Appendix XLIII-M is annexed (Annexure III) to this Public Notice.—

APPENDIX XLVIII

76. The words "Ayurvedic and Unani medicines "appearing in the title of Appendix XLVIII shall be substituted by the following :—

"Ayurvedic, Unani or any other system of medicine"

77. The description of the item 'Black Cumin' appearing against Sr. No. 56 shall be substituted by the following :

"56. Black Cumin Carumcarvi or (KalaZeera/Siaha Zeera) Carum Bulbocastanum'

The above amendments shall form part of the Handbook of Procedures (Vol. 1), 1992-97 (Revised Edition : March, 1996).

This issues in public interest.

SHYAMAL GHOSH, Director General of Foreign Trade

ANNEXURE-I

APPENDIX XXXIV-C

Procedures to be followed for reimbursement of Central Sales Tax on supplies made to Export Oriented Units and units in Export Processing Zones/ Free Trade Zone from Domestic Tariff Area (DTA).

Note : Please see Paragraph 106 of the Policy and Paragraph 188 of the Hand Book of Procedures.

The Government has been considering suggestions for revision of procedures governing reimbursements of CST paid by the EOU/EPZ/FTZ units on purchases made by them from the DTA. After careful consideration, it has been decided to revise the procedure on the following basis in supersession of the orders issued in this regard vide the Ministry of Commerce Order No. : 1/9/86-EP dated 27/7/1987 and No : 10/3/86-EPZ dated 4/11/1986 (as amended).

2. The Export Oriented Units (EOUS) and units in Export Processing Zones (EPZs) and Free Trade Zone (FTZ) will be entitled to full reimbursement of Central Sales Tax paid by them, from the funds of Market Development Assistance (MDA) on the purchases made by them from the DTA, to be utilised for export production, on the following terms and conditions :

747 GI/96—5

(i) The supplies from DTA to EOU/EPZ/FTZ units must be utilised by them for production of goods meant for export and/or utilised for export production and may include raw material, components, consumables packing materials, capital goods, spares, material handing equipment etc. on which Central Sales Tax has been actually paid by the EOU/EPZ/FTZ units.

(ii) While dealing with the application for reimbursement of CST, the Development Commissioner shall see, inter alia, that the purchases are essential for the production of goods for export and/or to be utilised for export producition by the units.

3. The procedure to be followed in this regard is indicated hereinafter and shall be strictly adhered to :

Procedure :

(i) As soon as the goods are received by the EOU/EPZ/FTZ units in its premises it will be entered in the meaterial receipt register kept for the purpose. The registor must show the details of goods, quantity, the source of purchase and the C form against which purchase is made etc. which will be subject to periodical check by the authorised staff of the Zone/Custom administration. A self attested copy of the register relevant to the claim shall be sub mitted alongwith the claim.

(ii) The reimbursement of CST shall be admissible only to those units who get themselves registered with the Sales Tax Authorities in terms of Section 7 of the CST Act, 1956 read with (Registration and Turnover) Rules, 1957 and furnish a photostat copy of the Registration Certificate issued by the Sales Tax Authorities to the Zone Office concerned for keeping it in the relevant file. Separate CST Registration be obtained for the EPZ/EOU.

(iii) The unit shall present its claim for reimbursement of Central Sales Tax in the prescribed form (Annexure I) to the Development Commissioner of the EPZ concerned along with the following documents :—

(a) Original Invoice/Bill of the supplier showing details regarding the description of goods, quantity, value, amount of CST paid etc. and the CST registration number of both the buyer and supplier;

(b) Photostat copy of C form issued by the purchaser to the supplying unit will be attested by the Gazetted Officer of the Zone with reference to the counterfoil produced by the unit. The counterfoil of C form will be returned to the unit after making suitable endorsement like 'Cancelled/CST reimbursed' duly signed by the authorised officer of the Zone administration and the photostat copy will be retained by the officer for keeping in respective file.

(c) Original receipt (alongwith photocpy) issued by the supplier in token of having received the amount of the bill, including the CST, which will be compared and attested by the concerned officer of Zone Administration with reference to the original produced by the unit. The original receipt will, however, be returned to the unit after making necessary endorsement thereon such as "Cancelled and CST of Rs................reimbursed, duly signed by the authorised officer of the Zone and the photostat copy will be retained in the concerned file. In case original receipts are not available and payment was made through bank, a certificate from Bank showing the payments specifically against the invoice shall be submitted. The amount paid and the Invoice amount should tally.

(d) The reimbursement will be limited to the payment of CST Against C Form only.

(e) The unit shall also intimate the name of the persons who are authorised by the firm to sign the C form and furnish three copies of his/their specimen signature(s) which will be kept in the relevant file of the unit.

(f) The reimbursement will be made on quarterly basis. No claim for reimbursement will be normally entertained if not claimed within a period of six months from completion of the quarter in which the claim has arisen. In exceptional cases, on application, the Development Commissioner may consider delayed applications after satisfying that the delay was due to genuine grounds. Claims delayed beyond one year will be summarily rejected.

(g) The claim for CST reimbursement for the amount below Rs. 25/- on any single invoice will not be entertained .

(h) The disbursing authority for the claim of reimbursement of CST will be Development Commissioner who will make the payment to the units from funds allotted under MDA. All claims shall be subjected to pre audit before payment.

ANNEXURE—I

Application for claiming reimbursement of Central Sales Tax against 'C' Form for the goods brought into the bonded Premises of the EOU/EPZ/FTZ units.

1. Name of the applicant :

2. Full postal address :

3. (a) No. and date of Letter of Approval issued under EOU/EPZ Scheme :

   (b) Whether the Letter of Approval is still valid on the date of this application. :

4. Registration No. (with date of issue) issued by S.T. Authorities under CST Act, 1956 :

5. Details of the goods brought into units :

   (a) Name & address of the supplier (including the name of the state where the supplier is located) :

   (b) Description of Goods :

   (c) Quantity :

   (d) Value :

   (e) Date of purchases of goods :

   (f) Date of receipt of goods in the Customs Bonded Premises of the EOU/EPZ unit. :

   (g) Total amount of CST paid against 'C' Form

   (h) Sales Tax Registration No. & date of the supplier under Section (7) of the Central Sales Tax Act, 1956.

6. Amount of CST claimed

Undertaking and Declaration

(a) I/We hereby solemnly undertake/declare that the particulars stated above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

(b) No other application for claiming CST has been made or will be made in future against purchases covered by the application.

(c) The good for which the claim has been made are meant for production of goods for export and/or for export production of the EOU/EPZ unit and will be utilised only in our factory and we shall not divert or dispose off the material procured without obtaining prior permission of the concerned Development Commissioner.

(d) The goods for which the claim has been made have been entered into the stock register maintained by the unit.

(e) In case the unit is wound up or the unit is allowed to be prematurely debonded, we undertake to refund the entire CST claimed for our EOU/EPZ unit.

(f) Any information, if found to be incorrect, wrong or misleading, will renderus liable to rejection of our claim without prejudice to any other action that may be taken against us in this behalf.

If as a result of scrutiny any excess payment found to have been made to me/us, the same may be adjusted against any of the subsequent claims to be made by my/our firm or in the event no claim is preferred, the amount overpaid will be refunded by me/us to the extent of the excess amount paid.

Signature :

Name in Block Letters :

Designation :

Name of the Applicant Firm :

ANNEXURE—II

EL FORMAT A

Appendix XXXVIII-A

Application form for grant of Export Licences under Para 159–Part II(31) of the Exim Policy 92—97 for items listed in Public Notice No. 68 (reproduced at Appendix XLIII-L of the Handbook of Procedures 1992—97).

Note: (a) See Para 123 of the Policy and Para 205 of the Handbook of Procedures.

(2) Read the general instructions at the end of the application before filling the application.

1. Importer-Exporter (IE) Code Number :
2. Name of applicant and complete postal address :
3. Name and address of Bankers to the applicant :
4. Year of the establishment of the firm :
5. (a) Is the applicant the producer/manufacturer of the item to be exported? If not, name the producer/manufacturer and provide full address, telephone No. etc.
   (b) Type of applicant firm (Fill-in by code number at Para 5 of General Instructions)
   (c) Status of the applicant/firms [Whether Export House/Trading House/Star Trading House/Super Star Trading House/Others (specify)]

6. Details of Export Licences (EL) previously applied for items under Public Notice No. 68 dated 31 March 1995 :

S.No.	Date of application	No. & date of Export Licence (See *note below)	Items Exported & Qty-Value	Date of Shipment (attach B/L copy)	Destination Country

*State "denied", if the licence was denied. A false statement will invite prosecution.

7. This application relates to: (See also Format B)

Serial Number of Item in Public Notice No. 68	Item name as in Public Notice No. 68 (Attach technical specifications as per instruction number 7 in General Instructions)	Qty. (See Instruction No. 6 in General Instructions)	Total FOB Value in US $

8. Port of Shipment (Delhi, Bombay, Calcutta or Madras-Identify only one Port) :
9. Destination of Export (Country) :
10. Name of the consignee, complete postal address; telephone, fax etc. :
11. Citizenship of consignee (if individual) :
12. Headquarters address of consignee, if corporate and different from entry at (10) above. :
13. RCMC No. :
    Expiry Date :
    Name of the Council :
    (attach copy of valid RCMC)

Place :

Date: Signature of the *applicant and Designation

*For definition of "applicant", please see Para 7 S. No. (6) and S. No. (30) of Expott and Import Policy (as amended upto 31 March 1996)

EL FORMAT B

Note: 1. One Format B should be filled in seperately for EACH ITEM at entry No. 7 on page 1 of Formate A.

2. Each copy of this format should be signed individually by the CEO, of the Company Secretary or a Director of the firm. If signed by a Director, that Director must be duly authorised to do so by the Board of Directors of the firm.

1. Item number and item name as in Public Notice No. 68.

2. Importer's Purchase Order number and date (Attach copy) :

3. (i) Quantity :
   (ii) FOB value per unit (US $) :
   (iii) Total FOB value (US $) :

4. (a) Location (Country) of end-user :
   (b) End product and/or end-purpose for which the exported item will be used by the end user. Attach end-use certificate :
   (c) Name and complete address of end-user (include telephone, fax Nos. etc.) :
   (d) Is end-user an entity of Government of destination country? :
   (e) Manufacturing/Business/Other activity of the end user. :

5. Through which banks will the financial transactions relating to this export be executed?
   (a) In destination country (provide full address) :
   (b) In India :

6. Names and addresses of all foreign collaborators of the applicant (as registered with GOI/RBI). If none, state NONE. :

7. Period during which the item is proposed to be exported from India. :

8. If revalidation required
   (a) Period of extension sought :
   (b) Reasons therefor :

Place :
Date : Signature of the *Applicant and Designation

EL FORMAT C

PROFORMA

END USE/END USER CERTIFICATE

[Read instructions at foot of page]

1. I/We ——————————a/hereby certify that we are the end-user of ——————————b/to be imported from ——————————c/ against our Purchase Order No. —————— dated —————— for the manufacture of/used for ——————d..

OR

The undersigned, hereby declares that I am duly authorised to certify that ——————————a/are the end-users of the items detailed in their Purchase Order No. ——————dated—————— and are importing the said items from —————————— c/ for the manufacture if/used for ——————————d/.

2. I/We further certify that the items detailed in the referenced Purchase Order will not be used for any purpose other than the purpose(s) stated in the Purchase Order, and that such use will not be changed nor the items modified or replicated without the prior consent e/ of the Government of India.

3. The end-user shall not himself, or through another, cause the items, or replicas, or derivatives thereof to be re-transferred/sold without the knowledge/consent e/ of the Government of India, to any party within——————————f/ or outside it.

4. I/We also certify that all the facts contained in this certificate are true and correct to the best of my knowledge and belief and that I/We do not know of any additional facts that are inconsistent with this certificate.

Place:

Date:

Signature of end-user/authorised signatory of end-user with stamp and seal

Name : ——————————

Designation ——————————

Filling Instructions, Enter as follows :

a/ Name of end-user as at entry 4(c) Format B of Export Licence application.

b/ Items entries as at 1 in Format B.

c/ Name and address of exporter in India.

d/ Name of the end product/end use.

e/ DGFT WILL STATE THE CONDITION IN EXPORT LICENCE. DO NOT STRIKE OUT.

f/ Destination country.

EL FORMAT D

DECLARATION/UNDERTAKING

I/We hereby solemnly declare/undertake that :—

(i) The particulars and the statements made in this application and attachments thereto are true to the best of my/our knowledge and belief, and nothing has been concealed or withheld therefrom.

(ii) If any information furnished in this application is found to be false, inaccurate, not current or misleading, any licence granted on the basis of this application shall be liable to cancellation or being made ineffective without prejudice to any other action that may be taken in this behalf under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, or rules and orders made thereunder, and the Customs Act 1962.

(iii) Any information furnished in this application if proved incorrect, false, inaccurate, not current or misleading will render me/us liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.

I hereby certify that I am authorised to certify and sign this declaration on behalf of the applicant.

Place :

Date :

Signature of the *applicant ——————————

Name in block letters ——————————

Designation ——————————

Full Official Address ——————————

——————————

——————————

——————————

——————————

——————————

Telephone No. ——————————

Full Residential Address ______________

____

____

____

Telephone No. ______________

____

Note:

*/ Applicant should be same as the signatory on Format A and Format B

GENERAL INSTRUCTIONS FOR APPLICANTS

1. This applicantion form is comprised of a composite set of four formats A, B, C and D. Formats A,B,C, & D may be photocopied.
2. Use only one application form (i.e. one set of four formats A.B.C.&D) for any one export consignee.
3. All entries in the formats should be typed-in.
   Read all the formats carefully before starting to fill-in
4. Complete all entries. Enter NA if any entry information is Not applicable. DO NOT STRIKE OUT ANY TEXT. An incomplete application shall be summarily rejected.
5. For the entry number 5(b) on page 1 of Format A, use the following codes:

   1.– Public Limited Company, 2–Private Limited Company,
   3–Propietory firm, 5–Hindu undivided family,
   6–Body/Association of Individuals, 7–Others.
6. Number of parcels and the quantity of goods in each parcel should be stated in entry number 7 on page 2 of Format A.
7. Attach technical specifications (not exceeding one page per item) immediately after page 2 of Format A, in the order in which these items are listed at entry 7 of Format A.
8. Submit 15 (fifteen) copies of the completed form to:
   Directorate General of Foreign Trade
   Udyog Bhawan
   New Delhi-110011
9. Forward the application, under cover of a statement on your letter-head to the effect that all the entries in this application and its attachments have been checked and found accurate, complete and current.
10. FALSE, MISLEADING OR INACCURATE FORMAT ENTRIES OR SUPPORTING DATA WILL INVITE PROSECUTION.
11. The applicant is required to keep copies of all the records relating to this application for a minimum period of three years from the date of application. This record shall be retained by the applicant even if the Export Licence is denied.
12. Detach this sheet from completed Application Form.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 82-ETC(PN)/92-97

New Delhi the 25th March, 1996

F.No. 35/118/95-E.II.—Attention is invited to Item No. 31A, Part II, Para 159 (Exports Permitted subject to Licensing) of Chapter-XVI, Negative List of Exports, of the Export and Import Policy, 1992–97 (Revised edition March, 1996).

2. The Director General of Foreign Trade hereby specifies the Chemicals included in Annexures A and B to the Montreal Protocol on substances that deplete the Ozone layer, the exports of which shall be permitted against a licence issued in this behalf to a country which is a party to the said Protocol, as under:

Annex A

Group I
(a) $CFCl_3$ (CFC-11) Trichloro fluoro methane.
(b) CF_2Cl_2 (CFC-12) Dichloro difluoro methane.
(c) $C_2F_3Cl_3$ (CFC-113) 1,1,2 trichl ro-1,2,2 trifluoro ethane.
(d) $C_2F_4Cl_2$ (CFC-114) 1,2 Dichloro tetrafluoro ethane.
(e) C_2F_5Cl (CFC-115) Chloro penta fluoro ethane.

Group II
(f) CF_2BrCl (halon-1211) Bromo chloro difluoro methane.
(g) CF_3Br (halon-1301) Bromo trifluoro methane.
(h) $C_2F_4Br_2$ (halon-2402) Dibromo tetrafluoro ethane.

Annex B

Group I
(i) CF_3Cl (CFC-13) Chloro trifluoro methane
(j) C_2FCl_5 (CFC-111) Pentachloro fluoro ethane
(k) $C_2F_2Cl_4$ (CFC-112) Tetrachloro difluoro ethane
(l) C_3FCl_7 (CFC-211) Heaptchloro difluoro propane
(m) $C_3F_2Cl_6$ (CFC-212) Hexachloro difluoro propane
(n) $C_3F_3Cl_5$ (CFC-213) Pentachloro trifluoro propane
(o) $C_3F_5Cl_4$ (CFC-214) Tetrachloro tetrafluoro propane
(p) $C_3F_5Cl_3$ (CFC-215) Trichloro pentafluoro propane
(q) $C_3F_6Cl_2$ (CFC-216) Dichloro hexafluoro propane
(r) C_3F_7Cl (CFC-217) Chloro heptafluoro propane

Group II
(s) CCl_4 Carbon tetrachloride Tetrachloro methane

Group III
(t) CH_3Cl_3* 1,1,1-trichloro ethane (methyl chloroform)

*This formula does not refer to 1,1,2-trichloro ethane.

3. Export to countries which are not parties to the Montreal Protocol is prohibited.

4. This issues in Public interest.

Sd/-

SHYAMAL GHOSH, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996